LOK SABHA DEBATES

(Part I -- Proceedings with Questions and Answers)

Friday, August 10, 2018/Shravana 19, 1940 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, August 10, 2018/Shravana 19, 1940 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

……	1
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 341- 346)	1A-44
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 347-360)	45-58
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 3911-4140)	59-288

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, August 10, 2018/ Shravana 19, 1940 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, August 10, 2018/Shravana 19, 1940 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**289**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**290-317**
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	**318**
ASSENT TO BILLS	**319**
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS Minutes	**319**
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 112th Report	**320**
RAILWAY CONVENTION COMMITTEE Statements	**321**
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES 27th Report	**322**
STATEMENT CORRECTING ANSWER GIVEN TO UNSTARRED QUESTION NO. 1205 DATED 22.12.2017 RE: (i) FOREST LAND UNSTARRED QUESTION NO. 1214 DATED 22.12.2017 RE: (ii) ECOLOGICAL IMBALANCE AND (ii) GIVING REASONS FOR DELAY IN CORRECTING THE ANSWERS Dr. Mahesh Sharma	**323**

STATEMENT CORRECTING ANSWER GIVEN TO STARRED QUESTION NO. 316 DATED 08.08.2018 RE: SHORTAGE OF MOBILE TOWERS	324
Shri Manoj Sinha	
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 53RD REPORT OF STANDING COMMITTEE ON FINANCE - LAID	324
Shri P.P. Chaudhary	
BILL INTRODUCED	325
Personal Law (Amendment) Bill	
SPECIAL MENTIONS	326-69
ARBITRATION AND CONCILIATION (AMENDMENT) BILL	370-432
Motion for Consideration	370
Shri P.P. Chaudhary	370-81
Shri Sunil Kumar Jakhar	382-87
Shri Sharad Tripathi	388-94
Shri A. Anwhar Raajhaa	395-98
Prof. Saugata Roy	399-404
Dr. Ravindra Babu	405-08
Shri Arvind Sawant	409-11
Shri B. Vinod Kumar	412-13
Shri Mohammad Salim	414-16
Shri Gopal Shetty	417-19
Kumari Sushmita Dev	420-21
Shri Ravi Shankar Prasad	422-30

Motion for Consideration – Adopted 431

Consideration of Clauses 431

Motion to Pass 432

VALEDICTORY REFERENCE 433-37

xxxx

(1100/KMR/CS)

1100 hours

(Hon. Speaker *in the Chair*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam Speaker, I have to raise an urgent matter relating to Kerala. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I know about the situation in Kerala. I will allow you and Karunakaran-ji also after the Question Hour.

(Q.341)

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Madam Speaker, this is a very important day for me today. This is the first time in four years that I am getting to ask a question for oral answer and secondly today is the last day of this session after which we will go back to our home, a place for wild animals.

Madam, I would like to ask the hon. Minister what is the elephant population after the latest census. Unnatural deaths of not only elephants but also other animals are occurring not only in Assam but in the entire country mostly because of illegal poaching. What is the number total casualties of elephants during the relevant years? How many illegal poachers have been apprehended so far? What is the rehabilitation package as on today for the victims of the man-animal conflict? What is the expenditure incurred for rehabilitation of the victims in terms of money?

DR. MAHESH SHARMA: Madam, I respect the sentiments of the hon. Member and recognise the importance of wildlife. The hon. Member sought the number of elephant population. As per preliminary reports, it is 27,312 in 2017. As regards the number of poachings or the number of casualties of human beings and

elephants, in the three years from 2013 to 2016, 100 elephants have died because of unnatural causes and around 489 human lives were also lost in the last year.

The Government of India's Environment Ministry is especially concerned to have a win-win situation over the issues of wildlife preservation, especially of animals in Schedule-1 of which elephant is a part. The Government of India has taken initiatives to increase the compensation for loss of human lives and loss of crops due to man-animal conflict. Earlier the compensation for human life lost was Rs.2 lakh; now the Government of India has increased it to Rs.5 lakh. Compensation in cases of major injuries used to be Rs. 2 lakh and in the cases of very minor injuries it used to be Rs.25,000. The Government has increased it from Rs.2 lakh to Rs.5 lakh. Then, some State Governments are using their own funds to compensate the loss in their own way. The Government is concerned about compensating this loss and reducing the man-animal conflict in a big way.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Madam, unnatural deaths of wild animals are occurring not only because of

poaching but also because of population explosion and the resultant increase in agricultural and industrial activities.

(1105/SPR/RV)

Wildlife areas, including the elephant corridor, are being encroached. Would the Ministry review the rehabilitation package, including compensation given to the families of the deceased? Is the Government thinking of shifting the villages or families living in the villages to some protected areas to create an elephant corridor, and to ensure conservation of elephant corridor, etc.?

Not only in the North Eastern Region, but also in West Bengal, we often see accidents taking place in railway tracks. This is a very serious problem. To combat the situation, would the Ministry come out with a special mechanism or would the Ministry construct a bypass or a flyover? Unless such measures are taken, accidents take place as a daily affair. What type of efforts would the Government take in this regard?

DR. MAHESH SHARMA: Madam. hon. Member is concerned about the holistic approach being taken by the Government of India in protecting wildlife, especially elephants. Yes, it is right that it is not

only about poaching but also train accidents, electrocution, etc. Sometimes, in retaliation, farmers use poisoning. While the Government is taking care of infrastructural development of those protected zones, sometimes, damage take place in the corridors. Hence, the Government is taking a holistic approach towards development of infrastructure.

Hon. Railway Minister, Shri Piyush Goyal, and Shri Gadkari ji, and other infrastructure development agencies have formed a group to protect wildlife, especially elephants by providing them safe corridors, providing bench terraces and ensuring physical barriers between the human zones and the animal zones. These are some of the measures which the Government would be taking.

About settling the population in different areas, yes, we have been in touch with the State Governments whenever such zones are declared. In consultation with the State Governments, the Government of India takes initiatives in settling the population as a family zone also. Definitely, the Government is taking it in a big way ensuring holistic development. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You have already asked questions. Now, your colleague wanted to speak.

DR. MAHESH SHARMA: The responsibility of shifting again lies within the purview of the State Governments. We have extended all the packages. We have increased the package from Rs.2 lakh to Rs.5 lakh per casualties. For settling of the families in an outside zone, there is no specific package. Whenever a demand comes from any specific area, we take necessary action at that point in time.

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Madam, the hon. Minister is also very rich in knowledge of ancient culture. I am saying so not because I am a `Trivedi' but I just would like to remind our ancient culture, specifically the Rig Veda. It talks about protecting the environment, whether it is ecological balance, whether it is rainfall, etc. So, protecting environment has been our heritage for many thousands of years. The reason I am mentioning it is that if I see the figures the hon. Minister has given, from 2013 to 2016, every year, there is an increase.

The concern is shared with the hon. Minister; the Minister of Railways is also here. Specifically, I just want to ask this. Even when

I was the Railway Minister, this was a big concern. Big `*Gajarajs'* for no fault of theirs, face problem. We have to understand that we have gone to their territory; they have not encroached our territory. My straight question is this. Today, in the modern world, with so much of technological advancement, whether it is Google Earth or any other way, you can really map them. That is the only solution. Are you looking at using modern technology to ensure the movement of these big elephants to protect them?

(1110/GM/MY)

DR. MAHESH SHARMA: Respecting the sentiments of the hon. Member linking it to our rich heritage, culture and traditions of linking the humanity with the nature, I would say that it is our nation which links it with mother nature. Starting from the schools, we have been taught about the Mother Nature and we have relations with our rivers, animals, our trees and plants, emotional relations with the river Ganga, Tulsi Mata and all such things are there in Indian culture. Definitely, we value these relations of mother nature and we promote in a big way as to how we can have a win-win situation with Mother Nature.

It is World Elephant Day the day after tomorrow, that is 12th of August. We will be celebrating it in a big way in IGNCA where there will be a three-day celebration for a nationwide participation as to how we should respect our mother nature, the wildlife of India, and especially, the *gajaraj*. The Gaj Mahotsav is being celebrated in a big way. As soon as some measures come from the hon. Minister with his rich experience in this field, we will try to incorporate all such suggestions which can be included as a part of this.

HON. SPEAKER: I think Minister of Railways, in particular, wants to say something. Piyush ji, I will allow you also.

DR. MAHESH SHARMA: The hon. Member has rightly said that we are invading their zones. We are passing through their buffer zones and protected zones. We are definitely trying nowadays to avoid electrocution of elephants and to avoid railway accidents. All such measures are being taken and modern technology is being used. As a pilot project, use of modern technology is being taken up with railway drivers to prevent railway accidents. We have taken special measures in that matter.

HON. SPEAKER: The Minister of Railways wants to supplement it. I am allowing him.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, यह समझ में नहीं आया, क्योंकि श्री त्रिवेदी जी ने बोला कि 'not because I am Trivedi' and 'Rig Veda' यह क्या है? समझ में नहीं आया।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, आप क्या कह रहे हैं?

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): श्री त्रिवेदी जी ने जब क्वेश्चन पूछा और मंत्री जी ने आंसर दिया, …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह वेदों में लिखा है, इसलिए उन्होंने कहा है।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dwivedi or Trivedi- they are all Vedis. There are Chaturvedis also.

… (*Interruptions*)

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि पूर्व रेल मंत्री जी ने बहुत गंभीर सवाल उठाया है। रेलवे में भी हम इस विषय के बारे में बहुत चिंतित है। वास्तव में रेलवे में डिमारकेटेड जोन्स हैं, जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब एलिफैंट्स उस क्षेत्र से होकर जाते हैं तो वे हर ट्रेन को स्लो करते हैं। हाल के दो-तीन वर्षों में ऐसा पाया गया है कि जो उनके डिमारकेटेड कॉरिडोर्स हैं, अब वे उसके बाहर चले गए हैं। इससे पता नहीं चलता है कि अब रेलवे में उतना बड़ा लैंड कहां से आएगा।

जब हमने ट्रेन्स को स्लो-डाउन किया तो उससे ट्रेन्स विलंब होने लग गई, इससे पैसेंजर्स नाराज होने लग गए। फिर हमने बाउंड्री वॉल के बारे में सोचा, लेकिन उसे भी वे तोड़ देते हैं। हमने एक लाइट इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में सोचा है, लेकिन अगर बहुत हैवी होगा तो उससे इलेक्ट्रोक्यूशन का डर है, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज पूर्व रेल मंत्री जी ने 'गूगल अर्थ' का बहुत अच्छा सुझाव दिया, मैं जरूर उसको एग्जामिन करूँगा। I think it is a very good idea.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Hon. Speaker Madam, I also share the sentiments of the earlier speakers on both sides of the aisle about the importance of respecting nature and humanity. But I am sorry to say that in Kerala, during 2016, 26 captive elephants were killed. In 2017, 20 elephants died and just in the first six months of this year, we have report of 18 elephants being killed. These have all happened or mainly happened in the premises of a new profession that we have in Kerala called elephant contractors. These are contractors who supply the elephants for temples and for tourism purposes after taking the elephants on rent from people who actually own them illegally.

(1115/RSG-CP)

Madam Speaker, under the Wildlife Protection Act of 1972 and the Declaration of Wildlife Stock Rules of 2003, no one is supposed

to take custody of an elephant without possessing a valid ownership certificate. Despite that, there is an estimate in Kerala that there are 518 elephants which are possessed by people without an ownership certificate, most of them smuggled from other States as far as Assam and Arunachal Pradesh. So, I wish to ask the hon. Minister whether the Government is aware of this phenomenon of smuggling and possession of elephants without ownership certificates. What does the Government propose to do about them? It is not only illegal but it is also cruel and inhumane, resulting in the deaths of animals every year.

DR. MAHESH SHARMA: Thanks for the concern.

Kerala has got the highest population of elephants because of the rich dense zone of trees and plantation, but there is a decrease in poaching in Kerala from 2015 to 2017. In 2015, the poaching incidents were 16; in 2016-17, it was two; and in 2017-18, it is zero. In Kerala, there have been four deaths due to electrocution; poisoning and other methods have been definitely used by people. There is a Captive Elephant Management Rule. Looking at the sentiments of the people and given that our country has got a varied heritage and culture, there is a Captive Elephant Management Rule

in Kerala. The Forest Department of Kerala is taking strict measures against violation of this Captive Elephant Management Rule; and cases are being booked against culprits who violate these rules. We will definitely take care of the concern shown by the hon. Member in this matter and we will have a discussion to ensure that especially animals are not being tortured and killed in captivity.

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Our beloved leader, Puratchi Thalaivi Amma had launched the 48th Annual Rejuvenation Camp for Temple Elephants in Tamilnadu in 2003. This is very important for the good health of elephants. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has got any plans to conduct rejuvenation camps for elephants in temples throughout India and the steps taken by the Government to protect wild elephants from being killed in accidents and poaching.

DR. MAHESH SHARMA: Let me compliment the hon. Member from the State of Tamilnadu since poaching incidents in that State have been nil after 2014. There has been not a single case of elephant poaching being reported in Tamilnadu. So, let me compliment the hon. Member also because the number of deaths due to electrocution has also declined from an average of eight or seven to

three in the last year. We are taking all measures respecting the sentiments of the people of that State to protect the animals in captivity in the State of Tamilnadu. We will take special measures for that.

HON. SPEAKER: Shri Kalyan Banerjee, have you got any good suggestion like Shri Dinesh Trivedi?

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, I am very grateful to you.

I want to just intimate to the hon. Minister, through you, that yesterday the hon. Supreme Court has directed that 91 resorts in the elephant corridors be demolished. This type of resorts and hotels are there all over India. My question is. Now, the Supreme Court has taken care of it and, of course, it has to be implemented. I would like to know whether his Ministry has any assessment or is taking any steps for demolishing this type of hotels, resorts, etc., in the elephant corridor. That is my question.

DR. MAHESH SHARMA: It is a concern of the hon. Member and the hon. Supreme Court also as to how we can protect the wildlife, especially in the elephant corridors. As a result of increasing population, devastation, and deforestation and also tourism being a

State Subject, State Governments are permitting opening of these corridors in consultation with the wildlife zones. We will definitely take care of the concern shown by the hon. Member to see that such corridors are being maintained in a big way. We will definitely take care of the concern shown by the hon. Member and the hon. Supreme Court.

(1120/NK/RK)

Again, it is a win-win situation. We have to see the interest of the tourism in that State and at the same time we have to take care of the wild life, especially the elephants. We will definitely take care of the concern shown by the hon. Member.

(ends)

(प्रश्न–342)

माननीय अध्यक्ष : श्री एम.बी.राजेश- उपस्थित नहीं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि स्टेट बैंक की सहयोगी संस्थाएं और महिला स्टेट बैंक को जोड़ कर 22,414 ब्रांचेज हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उनकी अलग से सहयोगी ब्रांचेज थीं और महिला स्टेट बैंक थे तो उनके अलग होने के कुछ कारण रहे होंगे। बैंकों के मिलने से प्रशासनिक कठिनाइयां अभी आई हैं, क्या यह उनके संज्ञान में है? मैं उदाहरण के लिए नार्थ-ईस्ट की बात करता हूं। जो सिंगल मैनेजर ब्रांचेज हैं, उनकी संख्या कितनी है? सुरक्षा के कारण बहुत सारी निष्क्रिय भी हो गई हैं और वह चल नहीं पा रही हैं। मैं मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक की ब्रांचेज नहीं होती हैं। हमारे यहां सुरक्षा का कोई कारण नहीं है, मार्केट का कारण है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी जानना चाहता हूं कि जो सिंगल मैनेजर ब्रांचेज हैं वे कितनी संख्या में सुरक्षा के कारण निष्क्रिय हैं? यह भी कहा जाता है कि ब्रांचेज लाभ की नहीं हैं। पहले जो सम्मिलित हुए हैं उनमें महिला बैंक में भी नहीं होंगी। सिंगल मैनेजर ब्रांच कितनी हैं और सुरक्षा के कारण कितने बैंक निष्क्रिय हैं?

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कई सब्सिडरीज बैंक ऐतिहासिक कारणों से कई वर्षों से चल रहे थे। एक जमाने में ये निजी क्षेत्र के बैंक थे, ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज नहीं होते थे, इसलिए स्टेट बैंक ने अलग-अलग समय में इसे टेक ओवर किया है। कुछ बैंक राजा-महाराजाओं के थे, जिन्हें टेक ओवर किया। कई बैंक वर्ष 2014 के पहले मर्ज हो गए थे। जब वर्ष 2014 के बाद स्टेट बैंक ऑफ

बीकानेर, जयपुर, मैसूर, पटियाला, ट्रावणकोर, हैदराबाद बैंक मर्ज हुए तो ये एसोसिएट्स बैंक माने जाते थे। एक भारतीय महिला बैंक भी को मर्ज करके संयुक्त रूप से मजबूत एंटिटि बनाने की कोशिश की गई। यह विश्व बैंकों की श्रेणी में 53वां नम्बर है। वास्तव में जब बड़े स्तर पर बैंक बैंकिंग करने जाते हैं तो जितने बड़े बैंक हो, वे उतनी ही अच्छी सहूलियत उपभोक्ता को दे सकते हैं, उतनी अच्छी सर्विस दे सकते हैं, ब्याज दर कम हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कॉस्ट को कम रखा जा सकता है। इसलिए यह पाया गया कि बैंकों की जो छोटी-छोटी एसोसिएट ब्रांचेज थीं, इसमें उनके खर्च आमदनी के डिस्प्रपोर्शनेट थे। स्टेट बैंक में मर्ज होने से एक भी व्यक्ति को रिट्रेंच नहीं किया गया, नौकरी से नहीं निकाला गया, जो एसोसिएट्स बैंक के वर्कर्स थे उल्टे उन्हें स्टेट बैंक जैसे मजबूत बैंक में आने से लाभ हुआ। इस पूरी व्यवस्था में विन-विन सिच्यूएशन रही।

जहां तक माननीय सांसद ने नार्थ-ईस्ट का जिक्र किया, वास्तव में जो सिंगल मैनेजर ब्रांचेंज हैं, वे एक्सटेंशन काऊंटर के रूप में काम करती हैं। जब पूर्वांचल की बात आती है या उत्तर पूर्व की बात आती है। हम कभी भी प्रोफिट-लॉस नहीं देखते हैं, उसे सेवा भाव से काम किया जाता है। अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसी तकलीफ दिख रही है तो तुरंत हमें बताएं और हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Madam, Speaker. In the answer given by the hon. Minister, it is stated that 6,950 banks have been merged post-amalgamation of the banks. We had discussed an issue regarding the amalgamation of the banks

in the House, especially the SBI and SBT. In Kerala we had a strong protest. It was promised in the House that there would be better service even after the amalgamation of the banks. The experience shows that there were no better alternative systems even though the amalgamation has taken place. Not only that, the new generation banks have come in at the cost of these earlier banks, especially the SBT banks.

(1125/NK/PS)

As a result, people are not getting better services as they have been getting earlier, especially in the State of Kerala from the SBT Bank.

Madam, through you, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has made any assessment after the amalgamation of these banks or not. I would also like to know whether services are being provided by these banks or not. Further, I would like to know whether the Government would take any action on this issue or not.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, the hon. Member's concerns are very serious and the Government will look into it very carefully.

But, so far, when we look at the customers' complaint story, it does not seem to suggest that in Kerala particularly or anywhere in the country, merger has had any negative effect on the customer service. By and large, the State Bank is known to have a very high standard of customer service. It is a bank which is committed and is very focussed, particularly for the poor, downtrodden and the middle-class.

So, if any such instance has come to the attention of the hon. Member, I would urge him to kindly inform us and we will take the strictest action.

(ends)

(Q.343)

श्री भीमराव बी. पाटील (ज़हीराबाद): अध्यक्ष महोदया, मैंने पूरा डीटेल अच्छे से पढ़ लिया, जवाब आ गया है। मेरा एक क्वेशचन है, I would like to know the details of the CSR funds that have been used for the betterment of minorities and BPL persons in the country.

माननीय अध्यक्ष : डिटेल आपने दे दिया है?

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, I do not understand as to what the question is.

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): I would like to know about the minorities and BPL persons.

श्री पीयूष गोयल : मैडम स्पीकर, जब सीएसआर का विषय होता है तो वह वास्तव में देश के हरेक नागरिक के लिए होता है, गरीब नागरिक के लिए होता है। हमें समाज में सब के लिए सामान्य चिंता है। 'सबका साथ, सबका विकास' हमारा 'क्रिडो' है। हम हरेक चीज को अलग-अलग मापदंड पर नहीं कर सकते। जो खर्च सीएसआर के माध्यम से होता है वह समाज और गरीबों के लिए ही होता है।

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Madam, I do not want to ask any more supplementary question.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि झारखंड में वर्ष 2014-15 में 7.86 करोड़ रुपये खर्च हुआ, वर्ष 2015-16 में 115.70 करोड़ रुपये खर्च हुआ, वर्ष 2016-17 में 242.24 करोड़ रुपये

खर्च हुआ, यह कैसे घट गया, खर्च ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि प्रोफिट बढ़ा है? मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जो भी सीएसआर का काम है, वह पहले के बनिस्बत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि झारखंड नया राज्य है और आपको वहां विशेष ध्यान होना चाहिए।

श्री पीयूष गोयल : मैडम स्पीकर, माननीय सांसद ने शायद ठीक से जवाब नहीं पढ़ा है। हमने ऊपर ही 2016 और 2017 में ऐस्ट्रिक लगाया है और नीचे लिखा है कि जो 30 नवम्बर, 2017 तक फाइलिंग्स आई थीं, यह वह डेटा है, जब पूरे साल का डेटा फाइल हो जाएगा तो फिगर स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, यह पहली बात है। दूसरा, झारखंड हम सभी के लिए बहुत प्रिय है और बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत अच्छा प्रदेश है। कोल मंत्री होने के नाते यह मेरा प्रमुख प्रदेश है, कोयला झारखंड से आता है। कोल इंडिया जैसी कंपनी मेरे अंडर है। अगर उसने सबसे अधिक काम किया है तो वह झारखंड में सीएसआर के माध्यम से किया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि कोल इंडिया ने खेल के लिए, वहां पर नेशनल स्टेडियम्स बने हुए हैं, वहां पर नेशनल गेम्स हुए थे। जब हम वर्ष 2014 में सत्ता में आए थे, वर्ष 2012-13 में ये स्टेडियम्स बहुत जर्जर हालत में थे। हमने इसको अपग्रेड करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि सिर्फ दी। झारखंड के आदिवासी भाई-बहन हैं, उनको भी मौका मिले और वे भी आगे चल कर ओलम्पिक में मेडल जीत सकें। इसकी तैयारी के लिए वहां हर वर्ष चौदह सौ छात्र पढ़ेंगे। उनको बचपन से अच्छी खुराक मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, हम उनको भारत

का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार करेंगे। झारखंड में अच्छा काम हो रहा है, वहां और भी अच्छा काम होगा।

(1130/SK/RC)

इसके अलावा कई कंपनियों ने स्टेट स्पेसिफाई नहीं किया है या जनरल सभी स्टेट्स में टोटल डाटा दिया है, उसमें स्टेटवाइज एलोकेट नहीं हो सकता है। इसके बारे में नीचे लिखा है, करीब 4,500 करोड़ रुपया हर साल अलग राज्य में होता है, लेकिन स्टेट वाइज़ एलोकेशन नहीं है।

HON. SPEAKER: For this question, let me give preference to the Members from Jharkhand, Telangana and Maharashtra.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Madam Speaker, though India is the first and probably the only country to have statutorily mandated the CSR, yet there are many loopholes in regulating and governing the CSR. Section 135 of the Companies Act of 2013 encourages the companies to give preference to local area and the area where it operates for CSR spending.

However, in most of the cases, the factories are located at some place and the Head Offices are located at the other place. In such cases, the local community is deprived of CSR funds because the factory management says that the decisions regarding the CSR are taken by the Head Office. I myself have experienced this. I have

a large industrial area in my Constituency in Ambernath and there are some tribal villages besides that industrial area. I had prepared a holistic plan for the development of this area but the same reason was told to me.

One more serious practice which has come to light is called U-turn. The promoters hire NGOs, transfer CSR funds to these NGOs and get those funds back thus turning the white money into black. Also, there is no expert in the company to decide which projects to be taken up on priority. Therefore, I would suggest if we can form a committee at the district level which can include the Collector, other representatives and the NGOs which can decide on the priority of spending of CSR.

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मानना है कि सीएसआर एक्टिविटीज़ दिल से की जाती हैं, कानून और सरकार के कहने से नहीं की जाती हैं। इसके बावजूद सैक्शन 135 में लिखा है, इस इलाके में है, मैं इसे करैक्ट कर दूं। इसके साथ ही हमने स्टिपुलेट किया है कि अगर कोई सीएसआर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम कंपनी के एम्पलाइज़ या उनके परिवारों को बेनिफिट देगा तो उसे सीएसआर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा एक चीज ध्यान में रखी जाए कि जो कंपनियां अपने इर्द-गिर्द काम करती हैं, उन कंपनियों को ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाभ होता है। हम चाहते हैं कि दूर दराज इलाकों में ज्यादा सीएसआर खर्च हो। जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, एस्पिरेशनल

डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बैकवर्ड रीजन्स हैं, मेरे हिसाब से यहां अधिक सीएसआर खर्च करना ज्यादा उपयुक्त होगा, देशहित में होगा।

अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको लोकल मैनेजमेंट से ही बात करनी पड़ेगी। The Government does not micro manage what the CSR activity should be. जिस दिन सरकार उसमें घुस गई तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हर चीज सरकार ही करती रहेगी। मुझे लगता है कि लोगों को स्वायत्तता देनी चाहिए ताकि वह तय करें कि क्या अच्छा काम करना है। अगर माननीय सदस्य के पास जानकारी है कि किसी ने मिसयूज किया है, किसी ने चोरी की है, तो आप जरूर लिखित रूप में दें, उस पर उचित कार्रवाई होगी।

हर कंपनी में सीएसआर कमेटी बनाने का प्रावधान कानून में है, जिसके तहत एक सीएसआर कमेटी बनती है।

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Thank you, Madam Speaker for giving me an opportunity.

The hon. Minister has given a detailed reply *vis-à-vis* how he is monitoring violations of the law which I am proud to say was introduced by Veerappa Moily Ji during his tenure.

The important part about the North-Eastern States is that industrialization is low. There are a very few big companies which have this kind of turn over. Therefore, the public sector units play a very important role.

In my State, ONGC is one such Company. But if I look at the dismal figures in the State of Assam when it comes to expenditure of CSR, I would request the hon. Minister to ensure that some micro-management or some kind of scrutiny is there of how ONGC is spending. To give a small example to the hon. Minister, for the last two years, we are waiting for sanctioning of a electronic pyre in the Silchar crematorium but we have not got it.

Sir, you have to reduce bureaucracy, especially, in the North-Eastern States because our pool of resources is very low. We are completely dependent on the public sector companies. This is my humble request to the Minister.

SHRI PIYUSH GOYAL: I think the hon. Member has raised a very important point. I fully agree and sympathise with her. Madam, particularly after 2014, this Government has had the maximum focus on the North-East to the extent that almost every 15-20 days, one of the Union Ministers is in different parts of the North-East. We are working towards the development of the North-East on a mission mode.

(1135/MK/SNB)

We very sincerely believe that unless the North-Eastern and Eastern parts of India develop, India cannot see a holistic development as a nation. I will ensure that our Public Sector Companies focus even more on the North-East.

Madam, as regards the Silchar Electronic Pyre, I am happy to announce that Coal India itself will set it up over there. The hon. Member may kindly send me the details.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं बिहार के जिस इलाके से चुनकर आता हूँ, वह विकास के मामले में एकदम पिछड़ा एवं नक्सल प्रभावित इलाका है। मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले-गया और औरंगाबाद विकास के मामले में देश का जो औसत विकास है, उससे काफी पीछे हैं। उन इलाकों के विकास के लिए, उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी की एक सोच के तहत देश के 115 जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में चुना गया है। अभी एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की चर्चा भी की है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी की ऐसी कोई इच्छा या मंशा है कि जिन जिलों का चयन प्रधान मंत्री जी की सोच के तहत एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में हुआ है, उनको विकसित करने के लिए, देश के औसत विकास तक लाने के लिए या उससे भी आगे ले जाने के लिए ये अपने मंत्रालय के माध्यम से कोई दिशा-निर्देश जारी करेंगे? देश के सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, उनके माध्यम से कॉरपोरेट सोशल

रेस्पांसबिलिटी के तहत उन जिलों के विकास के लिए क्या आप अपने मंत्रालय के माध्यम से कोई दिशा-निर्देश जारी करना चाहेंगे? यदि हां तो कब तक?

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्ष महोदया, वास्तव में किस प्रोजेक्ट, किस प्लान के ऊपर सी.एस.आर खर्च करना है, किस एरिया में खर्च करना है, यह तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स या उनकी जो सी.एस.आर कमेटी है, वह तय करती है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सरकार को उसमें दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के प्रति हम सबको चिंता है। सभी को उसके बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि एक गाइडेंस के रूप में निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है कि हम एक अपील भेज सकते हैं। मैं अपनी तरफ से एक अपील आपके माध्यम से देश से भी करूंगा तथा सभी माननीय सांसदों से भी कि जहां-जहां हो सके, हम उस पर विशेष ध्यान दें। लेकिन, जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की स्कीम निकाली गयी, तब माननीय प्रधान मंत्री जी की मंशा यह थी कि जो एग्जीस्टिंग हजारों-करोड़ रुपये अलग-अलग क्षेत्रों में खर्च करने के लिए जाते हैं, हम सब माननीय मंत्री और सब माननीय सांसद कोशिश करें कि वह पैसा अच्छे तरीके से खर्च हो, उसकी मानिटरिंग हो, उसके लिए लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। हमारा मानना है कि जो पैसा ऑलरेडी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए जाता है, अगर वह ईमानदारी से और अच्छे तरीके से गरीबों के काम में लग जाए, जैसे ग्राम स्वराज अभियान के दौरान हमने 16 हजार विलेजेज़ में सैचुरेशन करने का एक प्रोग्राम बनाया । माननीय सांसद ने देखा होगा कि हम सब इलाकों में कुछ-न-कुछ विलेज, जहां दलित परिवार 50 प्रतिशत से ज्यादा रहते हैं, उन विलेजेज़ में हमने सात स्कीम्स सैचुरेट की, जो काफी

सफलतापूर्वक हुई जैसे हरेक घर में बिजली देना, हरेक महिला को उज्ज्वला का लाभ देना, घर में एल.ई.डी. लाइट्स जले, उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें जन सुरक्षा इंश्योरेंस पॉलिसी मिले। मैं समझता हूं कि हमें सब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ विशेष चिंता करनी चाहिए, मैं राज्य सभा के माननीय सदस्यों से भी रिक्वेस्ट करूंगा। मैं अपना एमपीलैड फंड पूरे तरीके से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में दूंगा। अगर हम सब इसको नेशनल मिशन के रूप में लें तो बहुत अधिक काम हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष: सब लोग इसमें इंट्रेस्ट ले रहे हैं। आपका काम बहुत अच्छा है। मैं दो-तीन लोगों को अलाऊ करूंगी, मगर आपका उत्तर शार्ट में और प्रश्न भी शार्ट में हो तब।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam Speaker, you are really gracious and thank you for the opportunity.

I want to ask a short question. The hon. Minister has said that the Central Government does not want to micro manage the spending of CSR.

माननीय अध्यक्ष: आप इसको अच्छे से ले लें और काम करवाएं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): But when I look at the list provided by the Minister I find that the programmes of Government of India like *Swachh Bharat Kosh*, Clean Ganga Fund, Prime Minister's Relief Fund, Benefits to Armed Forces are being funded by CSR.

(1140/RU/RPS)

These projects can be funded by the Government of India straightaway rather than from the CSR Fund.

In this context, I just want to ask a short supplementary to the hon. Minister. Our Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee has written to the Prime Minister that since he is allowing contribution to the Prime Minister's Relief Fund from the CSR Fund, why can he not allow the Chief Minister's Relief Fund to benefit from the CSR Fund as States have many responsibilities for which they have very limited resources?

I would request the Minister to please agree to our CM's request and allow contribution to CM's Relief Fund from CSR Fund.

SHRI PIYUSH GOYAL: At the outset, if people give it to the Swachch Bharat Kosh, or Prime Minister's National Relief Fund or Clean Ganga Fund, it is out of their own volition. We are not asking them or we are not directing them to do so and neither is the Prime Minister making any specific request that people may donate to the Prime Minister's Relief Fund. It is entirely left to them. Maybe, some companies do not want to get into the hazzle of CSR Committee and monitoring the expenditure and so, they may be putting it there with

the full confidence that our Prime Minister will take good care of that money and use it towards good effect for the people of the whole country. That is the idea that the funds are used for the benefit of the whole country. Clean Ganga affects West Bengal as much as it affects UP, Bihar and other States. It is for the whole nation. None of this is for any particular area or any particular State.

माननीय अध्यक्ष: जगदम्बिका पाल जी, शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए। भाषण नहीं देना है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत शॉर्ट में प्रश्न पूछूंगा। मैं आपके प्रति आभारी हूं।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सीएसआर में हम अपील करेंगे, मेरा निवेदन है कि सीएसआर की एक गाइडलाइन है, जिस भी पीएसयू या प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसका दो प्रतिशत पैसा पिछड़े क्षेत्रों में खर्च होगा। अगर आपने यह गाइडलाइन बनाई है कि वे उसे अपनी कंपनी के आस-पास खर्च करेंगे और पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में खर्च करेंगे तो जिन 115 जिलों के लिए आप कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं दे रहे हैं, केवल ऑन-गोइंग स्कीम्स चल रही हैं, उन 115 जिलों में अपील करने के बजाय, जब आपने सीएसआर गाइडलाइन में पिछड़े जनपद डाल रखे हैं तो क्या आप उसमें ये 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डालने की कार्रवाई करेंगे? मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं।

श्री पीयूष गोयल: मैडम, मैं समझता हूं कि वह फिर एक बार माइक्रो-मैनेजमेंट हो जाएगा। मुझे लगता है कि सभी कंपनीज, जिनको सीएसआर करना है, को स्वायत्तता देनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के व्यापारी हैं, जो

उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, उनको कोई दो प्रतिशत या कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। हमारी विरासत और हमारा इतिहास बताता है कि बिना किसी कानून के भी लोग बड़े रूप में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि खोलते थे। हम उस बात पर बहुत गर्व करते हैं। मुझे लगता है कि वे इसे अच्छी तरीके से करेंगे। मुझे उन पर विश्वास है।

SHRI K. N. RAMACHANDRAN (SRIPERUMBUDUR): Madam, I will put a brief supplementary. … (*Interruptions*) I want to know one thing from the dynamic Minister.

I am belonging to an industrial area. As per rules, they have to spend two per cent of the profit towards CSR. But companies like Nissan and Honda which are functioning in my area are not concentrating on this aspect and no company is fulfilling these criteria. Who is the monitor of this aspect? Law says that the corporate itself should appoint the Director for CSR. There is no monitor for this part. Who is the monitoring authority? I want to know this from our dynamic Minister.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, we can only monitor the total amount that has been spent. That is also mentioned in the Annual Reports and the Ministry of Corporate Affairs has to ensure that two per cent at least, it could be more than that, has been spent on it but the projects on which they are being spent are left to the discretion

of the company. If there are any irregularities that come to any hon. Member's attention, he or she may flag it off to the Ministry and we will take appropriate action. If any particular company, which you feel, is not spending on it, and if you may write to us, we can take the details from the ROC records and check it out. But as regards actual spending, if there is any irregularity and it comes to the notice of the hon. Members that there is a misuse of that Fund, then please do let the Ministry of Corporate Affairs know about it so that we can take action.

SHRI K. N. RAMACHANDRAN (SRIPERUMBUDUR): Who is the authority who is monitoring it?

SHRI PIYUSH GOYAL: We cannot monitor the project on which anybody is spending this money. Otherwise we will have to have one more Department, one more level of bureaucracy and that will actually become a disincentive for people to do CSR rather than incentivising and encouraging them.

(1145/ASA/NKL)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदया, उत्तर से थोड़ा कांट्रैडिक्शन लग रहा है। रिटन में उन्होंने कहा है कि हमने पॉयलट प्रोजेक्ट्स शुरू

किए हैं और हम मॉनीटर कर रहे हैं। ओरल में कह रहे हैं कि सरकार को माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जाना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा सवाल यह है कि यह ऑडिट के बाहर रहता है और यह दो प्रतिशत का एक्सपेंडिचर है। उसको कंपनी के ऑडिट सिस्टम में ले आना चाहिए और आप सोशल ऑडिट चालू करें तब पता चलेगा कि जहां दिल है, वहां पॉकेट है या जहां पॉवर है, वहां पॉकेट है। आप सोशल ऑडिट करने का बंदोबस्त कर रहे हैं कि नहीं?

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद जी ने शायद ठीक से देखा नहीं है। मैं अभी तीन बार कह चुका हूं। मैं चौथी बार रिपीट भी कर देता हूं। यह दो प्रतिशत खर्च हुआ कि नहीं, यह मॉनीटर करना हम आरओसी के रिकार्ड से, उनकी रिपोर्ट्स देखकर करते हैं और जैसा मैंने जवाब में भी लिखा है कि अगर कोई वॉयलेशन मिलती है तो उस पर कार्रवाई होती है। पिछले साल वर्ष 2014-15 के एकाउंट्स स्टडी करके 254 कंपनीज को क्वैश्चन किया गया था और जो उन पर एक्शन सैंक्शंड किया गया था, 33 कंपनीज ने उसमें फिर कम्पाउंडिंग के लिए रिक्वैस्ट भी की थी। मैं समझता हूं कि एमाउंट पर मॉनीटरिंग करना हमारा दायित्व है और वह हम करते हैं लेकिन किस प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ, यह कंपनी और उसकी सीएसआर कमेटी तय करती है। वह अपनी एनुअल रिपोर्ट में उसका ब्यौरा भी देती है कि कैसे इतना खर्च हुआ। ये जो हमने डिटेल्स निकाले हैं कि किस-किस प्रोजेक्ट में कितना खर्च हुआ, वह हमने उन्हीं रिपोर्ट्स से निकाला है। मैंने इस जवाब के लिए बैठकर कोई हजारों कंपनीज से डेटा नहीं मांगा है। यह उन रिपोर्ट्स में उपलब्ध है। यह पब्लिक डोमैन में है,

आरओसी के रिकार्ड में है। अब ऑडिट और एड ही करते रहेंगे तो फिर आप लोग आरोप लगाएंगे कि मैं एज ए चार्टर्ड एकाउंटेंट चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का काम बढ़ा रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: दिल और पावर में पावर का भी दिल स्ट्रांग होना चाहिए। वह बोल रहे हैं कि दिल को करना है या पावर को ज्यादा करना है।

श्री पीयूष गोयल: मैडम, हमारा दिल तो माननीय सांसद के लिए वैसे ही दीवाना है। हम तो उनकी सब चीजों को बहुत सीरियसली लेते हैं।…(व्यवधान)

(इति)

(Q.344)

HON. SPEAKER: Shrimati Hemamalini – Not present.

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Thank you Madam Speaker. India is spending 1.2 per cent of its GDP on healthcare. Seeing that, the Prime Minister has thought of a plan to increase the spending to 2.5 per cent of the GDP till 2025. He proposed the Ayushman Bharat – National Health Protection Mission. The Minister in his answers to parts (a) and (b) has said 'No.' With ageing population, even NSSO has said, the cost for the people going to hospitals has increased by 300 per cent. We need to look at our ageing population. The Ministry of Statistics and Program Implementation has said that out of 103.9 million people at the age of 60 years and above, 8.5 per cent are suffering from various illness. They are having various problems like heart disease, strokes, cancer, kidney ailments etc. Is the Government of today looking to reduce the out of pocket expenditure and what are they doing to help the common man in aspirational districts? I belong to an aspirational district of Baran. Is the Government considering 115 aspirational districts and other districts of the country to increase the

Government spending to help the common man so that they can get medical facilities, especially the aged people?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदया, पूरी दुनिया में जो हमारी एलडर्ली पोपुलेशन है, वह बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत में भी यह बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे यहां जो 14 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, उनका ग्रोथ रेट 0.4 प्रतिशत है, लेकिन जो एलडर्ली पोपुलेशन है, वह 2.6 रेट से बढ़ रही है। वर्ष 2050 तक हमारी जो एलडर्ली पोपुलेशन है, वह 340 मिलियन से ज्यादा हो जाएगी और जो हमारी सोशल और फैमिली वैल्यूज में डिक्लाइन हो रहा है, आज हम एलडर्ली को उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि वे खुद अपने हैल्थ इश्यूज को देखें। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एलडर्ली के जो हैल्थ इश्यूज हैं, उनके लिए सरकार प्रबन्ध करे। हमने इस उद्देश्य से नेशनल प्रोग्राम फॉर दि हैल्थ केयर ऑफ एलडर्ली चलाया हुआ है, जिसमें हम अपने 19 रीजनल जेरियेट्रिक सेन्टर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सीएचसी, पीएचसी और सब-सेन्टर्स के माध्यम से इंटरवेंशन कर रहे हैं।

(1150/RAJ/KSP)

हमारी यह व्यवस्था है, हमारी यह कोशिश है। यह पूरा प्रोग्राम स्टेट ओरिएंटेड है, यानी स्टेट की हमारी हर लेवल की जितनी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स हैं, टर्शियरी, सेकेंड्री, प्राइमरी, हेल्थ उनका पूरा लाभ एल्डर्ली पॉपुलेशन को मिले। हम ने देश के 591 जिलों में इस प्रोग्राम को सैंक्शन किया है। ऑलरेडी, यह 250 जिलों में ऑपरेशनल हो चुका है। इसके अलावा लगभग 837 सीएफसीज में यह ऑपरेशनल हो चुका है। लगभग 32 हजार सबसेंटर्स हैं और लगभग 19 सौ पीएचसीज है, जिनमें यह

ऑपरेशनल हो चुका है। हमारी कोशिश है कि हेल्थ केयर की सुविधाएं एल्डर्ली पॉपुलेशन को मिले। इसमें हमारी प्रिवेंटिव सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज और फिजिओथेरैपी सर्विसेज भी मिल रही हैं। पीएचसीज, सीएचसीज हर जगह, हम वीकली और बाईवीकली क्लीनिक्स भी चला रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, वह 250 जिलों में ऑपरेशनल हो चुका है, बाकी बचे हुए 241 जिलों के लिए हम स्टेट को एनकरेज कर रहे हैं कि वे पीआईपीज के द्वारा इस प्रोग्राम को जल्दी प्रारंभ करें।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Madam Speaker, the statement laid on the Table of the House says that the Study Reports will be used for developing comprehensive national and state level health policies and programmes for the elderly population in India. It is in future tense. That means, the policy does not seem to be in place now. Recently, the hon. Member Shri Bhartruhari Mahtab had also brought in a Private Member’s Bill for extending geriatric services to the districts. So, I would like to know from the hon. Minister whether such a policy is being thought of and if so, how much of the extension of this particular programme has been done in the States.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Madam, as I said in my reply earlier, there are 591 districts for which the National Programme for Health Care of the Elderly has been sanctioned and in 250 districts it is operational. There is a need for a systematic study as well because

in many parts of the world, we do systematic studies to collect data on the health, social and economic well being of the elderly population. So, we have initiated the Longitudinal Ageing Study of India (LASI). This is one of the most comprehensive studies in the world, which has a sample size of 61,000 and it is being conducted in wave-1 and wave-2. In wave-1, we have two phases. Phase 1 began in 2016 and we have completed it in 16 States and Phase 2, which began in 2018, will end in 2019 and we are covering the rest of the 20 States. We are trying to collect data on the disease burden which is affecting the elderly population, the health care financing facilities which are available to them, the social network that they have etc. Individual survey, family survey and community survey are the various instruments which we are using and we are even using the functional health markers and performance-based markers. We are trying to collect this information and once this study is completed, it is going to be one of the biggest studies and it will give us the basis for forming any of the curative and preventive policies in order to provide health care facilities to the elderly population of the country.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, perhaps you remember that in December, 2016, a book was

compiled on the debate that we had earlier and it was released by you. At that time, the Health Minister was also present and he made certain commitments. My question is relating to geriatric care. The issue here is not preventive or curative. The issue is, the elderly persons need care and attention and I raised this issue earlier also that in our curriculum, be it in AIIMS or in any Medical College, the nursing care system has not been strengthened. An assurance has been given by the Minister outside the House that he would be taking adequate steps to bring geriatric care into the curriculum because hardly one paragraph is there in the curriculum today. So, I would like to know whether the Minister is going to take steps to bring the nursing care of the elderly persons also into the curriculum at the earliest.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Madam, although this is being answered in the question, where the Minister will talk in detail, the only thing I want to submit is, as you can see from the commitment that has been expressed by the Head of the Government, hon. Prime Minister Narendra Modiji, we have laid the foundation stone for the National Centre of Ageing at the All India Institute of Medical Sciences in New Delhi just a few days back.

(1155/KKD/IND)

There is one more National Centre of Aging, which is being developed in the Madras Medical College, Chennai. That work is going to be completed very soon.

So, this is the highest level of commitment that the Government is showing towards the elderly population; and the rest of it would be answered in the next Question.

(ends.)

HON. SPEAKER: Q. No. 345, Dr. Pritam Gopinath Munde – Not Present;

Shri Dharmendra Yadav: Not Present.

This is very bad. प्रश्न पूछा है और सदन में नहीं हैं। Does anybody want to ask?

Yes, Shri Dushyant Chautala.

(प्रश्न 345)

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): महोदया, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि इग्नू के साथ एमओयू साइन हुआ है कि किस प्रकार से हैल्थ डेवलपमेंट के लिए स्किल्ड हैल्प ली जाएगी, जिसके अंदर चाहे फार्मेसिस्ट्स हों, एलाइड प्रोफेशनल्स हों या नर्सेज़ हों, इनकी ट्रेनिंग और स्किलिंग के ऊपर हैल्थ मिनिस्ट्री काम करेगी।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में इकलौता इग्नू ही ऐसा संस्थान है, जिसके साथ स्किलिंग करेंगे या भारत सरकार ऐसे अन्य इंस्टीट्यूट्स जो अलग-अलग प्रदेशों में अपने लैवल पर स्किलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें भी ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में कोई कदम उठाएंगे? सरकार द्वारा एक नोटिस इश्यू किया गया है कि आप यदि लैब अटेंडेंट हैं तो आपके पास एक सर्टेन डिग्री होनी चाहिए। जो लोग बीस-बीस सालों से इस प्रकार की टेक्निकल हैल्प स्वास्थ्य विभाग को देते आए हैं, आज वे बेरोजगार होने के कगार पर हैं। क्या भारत सरकार उन लोगों के लिए भी कोई स्किलिंग का प्रावधान करेगी? जिन लोगों के पास आज डिग्री नहीं है और वे फार्मेसी चला रहे हैं, क्या सरकार उन्हें मेनस्ट्रीम में लाने का काम करेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): महोदया, हमारे पास नेशनल लैवल पर हैल्थ ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, वैसे ही हर राज्य का हैल्थ ट्रेनिंग का अपना प्रोग्राम है और राज्य अपनी-अपनी दृष्टि से अपने-अपने सैक्टर्स में ट्रेनिंग देते रहते हैं, जिन्हें हम स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के रूप में जानते हैं। वे इस बात के लिए भी फ्री हैं कि जो दूसरे काउंसिल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके साथ वे अपने आपको एसोसिएट कर सकते हैं या एफिलिएट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारे

काउंसिल्स बहुत से इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करती हैं और उनके माध्यम से भी ट्रेनिंग होती है। राज्यों के अंदर यदि कोई इंस्टीट्यूट है और वह ट्रेनिंग देना चाहता है तो रिस्पेक्टिव काउंसिल से उसे रिकग्निशन मिलती है और वह ट्रेनिंग दे सकता है।

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Madam Speaker, today, there is a lack of paramedical staff and also technicians. In most of the States where the districts want to upgrade facilities of blood banks, labs, dialysis centres, just because we are not getting technicians, we are not able to make these facilities available at the district level.

Madam, in my Parliamentary Constituency, Nandurbar, we have thousands of patients, who require dialysis facilities. The Government of India has also given us the dialysis centres where there are five dialysis machines. We want to increase the number of these machines, but we do not have adequate technicians.

So, would the Government sign similar kinds of MoUs with the State Government and try to increase such skilling for all the technicians be it blood banks, lab technicians, dialysis technicians, and also increase the paramedical staff and give good healthcare facility at the rural level?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, the States are free and they are independent and autonomous as far as the training part is concerned. They can go for it. What we can do is to give them the technical support and financial support.

(ends)

(प्रश्न 346)

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): महोदया, सुकन्या समृद्धि योजना में बालिकाओं के खाता खोलने की अधिकतम आयु 10 वर्ष है और आम तौर से ग्रामीण क्षेत्र में दस वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, जबकि पिछले जून से बालिकाओं का खाता खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : आपके प्रश्न पूछने में ही प्रश्न काल का समय समाप्त हो जाएगा।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): महोदया, इससे पूर्व जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर खाता खोला जाता था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या खाता खोलने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करके फिर से जन्म प्रमाण पत्र द्वारा खाता खोलने की अनुमति प्रदान करेंगे?

(1200/VB/RP)

लेकिन अभी पिछले जून से इस योजना के तहत बालिकाओं के खाते खोलने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर खाते खोले जाते थे।

माननीय अध्यक्ष: आप सीधा प्रश्न पूछें, प्रश्नकाल का समय निकलता जा रहा है।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मैं पूछना चाहता हूँ कि बालिकाओं के खाते खोलने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर, क्या इसे पुन: जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर खोलने की अनुमति दी जाएगी?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam, they can open the account on the basis of the Birth Certificate.

(QUESTION HOUR OVER)

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, विभिन्न विषयों पर सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव आए हैं। ये मामले महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन अन्य अवसरों पर इन्हें उठाने की अनुमति दी जा सकती है। इसलिए किसी भी स्थगन प्रस्तान की सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

PAPERS LAID ON THE TABLE

1201 hrs

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

Item no. 2 – Shri Ravi Shankar Prasad.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, we had raised a very important issue yesterday. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप पहले पेपर लेड होने दें।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): Madam, Speaker, on behalf of Shri Ravi Shankar Prasad, I beg to lay on the Table:-

1. A copy of the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Amendment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.630(E) in Gazette of India dated 12th July, 2018 under sub-section (3) of Section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958.

2. A copy of the High Court Judges Travelling Allowance Amendment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.631(E) in Gazette of India dated 12th July, 2018 under sub-section (3) of Section 24 of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): On behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table:-

1. A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

    1. Review by the Government of the working of the ONGC Videsh Limited, New Delhi, for the year 2016-2017.

    2. Annual Report of the ONGC Videsh Limited, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): I be to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rampur Raza Library, Rampur, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rampur Raza Library, Rampur, for the year 2016-2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South Central Zone Cultural Centre, Nagpur, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South Central Zone Cultural Centre, Nagpur, for the year 2015-2016.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South Zone Cultural Centre, Thanjavur, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South Zone Cultural Centre, Thanjavur, for the year 2016-2017.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi, for the year 2016-2017.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi, for the year 2016-2017.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna, for the year 2016-2017.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Delhi Public Library, Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Delhi Public Library, Delhi, for the year 2016-2017.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Salar Jung Museum, Hyderabad, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Salar Jung Museum, Hyderabad, for the year 2016-2017.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Buddhist Cultural Studies, Tawang, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Buddhist Cultural Studies, Tawang, for the year 2016-2017.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tibet House, New Delhi, for the year 2016-2017.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tibet House, New Delhi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tibet House, New Delhi, for the year 2016-2017.

(18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Himalayan Culture Studies, Dahung, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Himalayan Culture Studies, Dahung, for the year 2016-2017.

(20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2016-2017.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2016-2017.

(22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2015-2016.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2015-2016.

(24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

(25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kalakshetra Foundation, Chennai, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kalakshetra Foundation, Chennai, for the year 2016-2017.

(26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

1. The Foreign Exchange Management (Cross Border Merger) Regulations, 2018 published in Notification No. G.S.R.244(E) in Gazette of India dated 20th March, 2018.
2. The Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations, 2018 published in Notification No. G.S.R.280(E) in Gazette of India dated 26th March, 2018.
3. The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2018 published in Notification No. G.S.R.520(E) in Gazette of India dated 1st June, 2018.
4. The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment)

Regulations, 2018 published in Notification No. G.S.R.279(E) in Gazette of India dated 26th March, 2018.

(2) A copy of the Securities Contracts (Regulation) (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.675(E) in Gazette of India dated 25th July, 2018 under sub-section (3) of Section 27 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

(3) A copy of the Notification No. S.O.1964(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th May, 2018, containing order regarding appointment Shri Ashok Lahiri as a Member (Part time) of the Fifteenth Finance Commission under Article 280 of the Constitution read with Section 6 and 8 of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951.

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 25 of the Coinage Act, 2011:-

1. The Coinage (Issue of Commemorative coin on the occasion of 350th Birth Anniversary of Shri Guru Gobind Singh Ji Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.281(E) in Gazette of India dated 26th March, 2018.

2. The Printing of One Rupee Currency Notes Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.99(E) in Gazette of India dated 31st January, 2018.

3. The Coinage (Issue of Commemorative coins on the occasion of 125th Birth Anniversary of Prasanta Chandra Mahalanobis) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.592(E) in Gazette of India dated 28th June, 2018.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2016 जो 14 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० एएक्स1/एसटी/पेंशन रेग°/1524/2017-18 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 14 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० एएक्स1/एसटी/ओएसआर/1324/2017-18 में प्रकाशित हुए थे।

(6) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) साकानि 718(अ) जो 30 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररुप जीएसटीआर-6 फाइल करने की निर्धारित तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) साकानि 692(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर केन्द्रीय कर की दरों को विहित करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) साकानि 693(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर केन्द्रीय कर दरों से छूट प्रदान करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) साकानि 694(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई माह, 2018 तक, के लिए कर के संदाय के पश्चात् बकाया विनिर्दिष्ट संचित आईटीसी के व्यपगत होने के अध्यधीन टेक्सटाइल फैब्रिक पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस किए जाने की अनुमति देने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) साकानि 695(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तकारी मदों पर रियायती सीजीएसटी दर विहित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) साका०नि० 696(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर एकीकृत कर की दरों को विहित करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) साकानि 697(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर एकीकृत कर दरों से छूट प्रदान करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) साकानि 698(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई माह, 2018 तक, के लिए कर के संदाय के पश्चात् बकाया विनिर्दिष्ट संचित आईटीसी के व्यपगत होने के अध्यधीन टेक्सटाइल फैब्रिक पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस किए जाने की अनुमति देने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) साकानि 699(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तकारी मदों पर रियायती आईजीएसटी दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) साकानि 700(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर संघ राज्यक्षेत्र कर की दरों को विहित करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन।

(दो) साकानि 701(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर संघ राज्यक्षेत्र कर की दरों से छूट प्रदान करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन।

(तीन) साकानि 702(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई माह, 2018 तक, के लिए कर के संदाय के पश्चात् बकाया विनिर्दिष्ट संचित आईटीसी के व्यापगत होने के अध्यधीन टेक्सटाइल फैब्रिक पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस किए जाने की अनुमति देने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) साकानि 703(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तकारी मदों पर रियायती यूटीजीएसटी दर विहित कई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) प्रतिकर उपकर माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या साकानि 704(अ) जो 26 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय विनिर्दिष्ट माल पर प्रतिकर उपकर दरें विहित करने वाली 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं० साकानि 705 (अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उर्वरक विभाग द्वारा उर्वरक विपणन संस्थाओं को खुला समुद्र विक्रय आधार पर जिस मूल्य (कीमतों में पूल) पर यूरिया का विक्रय किया जाता है उस मूल्य से अधिक निर्धारणीय मूल्य पर परिकलित आईजीएसटी से छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (5) के अंतर्गत साकानि 717(अ) जो 30 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आश्य उक्त अधिनियम के शीर्षक 8541 के अंतर्गत आने वाले 'मोडूयल या पैनल में असेम्बल किए गए या नहीं किए गए सोलर सेल' के आयात पर 2 वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे):

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) 14वां संशोधन विनियम, 2017 जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० मानक ओ० एण्ड एफ/अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/शिशु पोषण/मानक/ अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) पहला संशोधन विनियम, 2018 जो 8 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० रेग./11/25/आयात संशोधन/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2018 जो 26 फरवरी,2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं/मानक/ओएण्ड एफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 29 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2011, जो 19 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं° एफ° 14-369(98) को-आर्डिनेशन सेल/स्था1 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम,1981, जो 10 अक्तूबर, 1981के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साकानि 914 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2012, जो 29 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-3/69(98)को-आर्डिनेशन सेल/स्था०1 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 1998, जो 30 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साकानि 373(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2003, जो 7 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ° 14-3/69/स्था०2 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2009, जो 2 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 20-7/2007-स्था०1 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 1999, जो 26 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 14-3/69/99/स्था०1 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० एफ० सं० एनसीटीई-आईजीएल 012/16/2018, जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं० एफ सं० 61-03/20/2010/एनसीटीई (एनएंडएस) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) यूईई मिशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। (दो) यूईई मिशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) महिला समाख्या सोसायटी गुजरात, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। (दो) महिला समाख्या सोसायटी गुजरात, अहमदाबाद के

वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) गोवा सर्व शिक्षा, अभियान, गोवा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा सर्व शिक्षा, अभियान, गोवा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table a copy of the Sashastra Seema Bal (Combatised Engineering Cadre Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.220 in weekly Gazette of India dated 21st July, 2018 under sub-section (3) of Section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Kerala Land Development Corporation Limited, Thiruvananthapuram, for the years 2010-2011 and 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Kerala Land Development Corporation Limited, Thiruvananthapuram, for the years 2010-2011 and 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लक्षद्वीप डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, कवारत्ती के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): On behalf of Shri Mansukh L. Mandaviya, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

  (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Antibiotics Limited, Pune, for the year 2016-2017.

  (ii) Annual Report of the Hindustan Antibiotics Limited, Pune, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shri C.R. Chaudhary, I beg to lay on the Table a copy of the Sugarcane (Control) Amendment Order, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.3663(E)/Ess.Com/Sugarcane published in Gazette of India dated 26th July, 2018 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodity Act, 1955.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ हुबली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे। |

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ हुबली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ हुबली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(10) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) भारतीय प्रबंध सस्थान सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम

अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के लिए अन्य उपाय) विनियम,2018, जो 18 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं° एफ-1-2/2017 (ईसी/पीएस) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम, 2018, जो 4 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ 1-19/2016(सीपीपी-दो/डीईबी-1) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहन और साहित्यिक चोरी का निवारण) विनियम, 2018 जो 31 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ 1-18/2010(सीपीपी-2) में प्रकाशित हुए थे।

(21) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सीयूके/एडमिन/अध्यादेश/2010 जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के, 20 अध्यादेशों के संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

MESSSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 19th August, 2018 agreed without any amendment to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 6th August, 2018."

(1205/RCP/PC)

ASSENT TO BILLS

1205 hours

SECRETARY GENERAL: Madam, I lay on the Table the following 2 Bills passed by the Houses of Parliament during the Fifteenth Session of Sixteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 19th July, 2018:-

1. The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018; and
2. The State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2018

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
Minutes

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I beg to lay on the Table the Minutes (Hindi and English versions) of the Thirty-ninth to Forty-third sittings of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions held during the Fourteenth and Fifteenth sessions.

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
112th Report

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): I beg to present the 112th Report (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2018-19) on the subject “Incorrect Adoption of Exchange Rate and Undue Benefit to the Service Provider”.

रेल अभिसमय समिति
विवरण

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, मैं रेल अभिसमय समिति के सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

27th Report

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I beg to present the Twenty-seventh Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2018-2019) on the Ministry of Housing and Urban Affairs regarding Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Fifteenth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Reservation for and employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)'.

STATEMENTS CORRECTING ANSWERS GIVEN TO UNSTARRED QUESTION NO. 1205 DATED 22ND DECEMBER, 2017
RE: (i) FOREST LAND
UNSTARRED QUESTION NO. 1214 DATED 22ND DECEMBER, 2017
RE: (ii) ECOLOGICAL IMBALANCE; AND (iii) GIVING REASONS FOR DELAY IN CORRECTING THE ANSWERS

1207 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): I beg to make Statements (Hindi and English versions) (i) correcting the reply to Unstarred Question No. 1205 given on 22nd December, 2017 asked by Shri Harinarayan Rajbhar, MP regarding 'Forest Land' (ii) correcting the reply to Unstarred Question No. 1214 given on 22nd December, 2017 asked by Shri Ravindra Kumar Pandey, MP regarding 'Ecological Imbalance' and (iii) giving reasons for delay in correcting the replies.

तारांकित प्रश्न संख्या 316 के दिनांक 8 अगस्त, 2018 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने हेतु वक्तव्य
'मोबाइल टावरों की कमी'

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से मोबाइल टावरों की कमी के बारे में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 316 के दिनांक 8 अगस्त, 2018 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 53RD REPORT OF STANDING COMMITTEE ON FINANCE—LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 53rd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Corporate Affairs.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मेरा गला खराब है। आप लोग मेरा गला खराब कर देते हो।

…(व्यवधान)

PERSONAL LAWS (AMENDMENT) BILL

1209 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): On behalf of Shri Ravi Shankar Prasad, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Divorcee Act, 1869, the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939, the Special Marriage Act, 1954, the Hindu Marriage Act, 1955 and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Divorcee Act, 1869, the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939, the Special Marriage Act, 1954, the Hindu Marriage Act, 1955 and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956."

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: I introduce the Bill.

SPECIAL MENTIONS

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour'

… (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : मैडम, राहुल गांधी जी के खिलाफ हमारे प्रिवलेज के नोटिस भी हैं। …(व्यवधान) उनका अब तक क्या हुआ? …(व्यवधान) देश को गुमराह करने का काम किया है।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will allow you also. Karunakaran *ji*.

… (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I would like to place before the House the serious situation that Kerala is witnessing. There are about six districts which are very badly affected.

(1210/RCP/SPS)

In Idukki district alone, 20 persons have lost their lives. In Wayanad district, five persons have lost their lives. Palakkad, Calicut, Malappuram and other districts also are facing the same difficulties. It is difficult to move persons from one place to another. The Chief Minister of Kerala has sent urgent messages to the Government.

This is the third consecutive natural calamity that we are facing. One was the Ockhi. The other was the natural calamity in Kuttanad and Alleppy. The third one is this. So, we would request that the Government has to take it as a special issue and give all possible assistance. What we need is the Defence assistance, the Military assistance. It is not possible to handle it by the State alone. So, the Government has to take very immediate and urgent steps regarding this.

HON. SPEAKER: Shrimati Supriya Sule is permitted to associate with the issue raised by Shri P. Karunakaran.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, this is the fourth time that I am raising the same issue regarding the severe situation, due to flood, prevailing in the State of Kerala. Actually, unprecedented rain, continuous rain has played a havoc with the entire State. During the last two days, it has further worsened. Around 23 people were killed yesterday alone. At least 23 people have died in the State until now due to heavy rains and landslides. Wayanad district was cut off from the rest of the State by a series of landslips along key ghat roads. Landslips and floods devastated the eastern hilly part of Malappuram district claiming six lives of an

Adivasi family at Chettiyanpara near Malappuram. There were multiple incidents of landslips in the rural areas of Kozhikode. Most rivers in the State were in spate and the water level in reservoirs was nearing the danger mark due to the heavy inflow caused by incessant rains in the catchment areas. For the first time, shutters of 22 dams, including Idukki dam, were opened on Thursday due to heavy rains. Three shutters of the Cheruthoni dam in Idukki has been opened to ease the pressure of water on the Idukki hydel reservoir. This has been done after a gap of 26 years. The Idukki and Ernakulam district administrations have warned those living on the banks of Periyar. This has increased the water level in all rivers causing flood and waterlogging in the areas adjacent to river banks. Around 13 villages of Aluva taluk are expected to be affected by the release of water from Idukki dam. Yesterday, the Cochin International Airport was also closed.

The hon. Home Minister is here. The Central Team is there in Kerala itself. I would request the hon. Home Minister that we need Navy assistance, Coast Guard and we also need additional units of National Disaster Response Force. Also, a special financial package should be given to the State of Kerala. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Mullappally Ramachandran, Dr. Shashi Tharoor, Shri M.K. Raghavan, Dr. Kulmani Samal, Shri Rabindra Kumar Jena and Shri Rajeev Satav are permitted to associate with the issue raised by Shri K.C. Venugopal.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया, केरला में फ्लड सिचुएशन के कारण क्राइसिस पैदा हुई है और कुछ दिनों पहले मैंने अपने सहयोगी श्री किरेन रिजीजु को वहां पर सर्वेक्षण करने के लिए भेजा था। उन्होंने वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया है। मैं आज भी वहां के चीफ मिनिस्टर से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बात नहीं हो पायी है। लौटने के बाद मैं पुन: उनसे बात करुंगा। इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सेन्ट्रल गवर्नेमेंट के द्वारा जिस प्रकार के असिस्टेंस की जरूरत होगी, वह असिस्टेंस हम प्रोवाइड करायेंगे।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान लोक हित से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करना चाहती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर सहित बिहार राज्य में सरकार द्वारा गरीब वृद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली वृद्धा पेंशन एवं पारिवारिक लाभ की योजना से वंचित हो रहे हैं। वर्तमान में सरकारी नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को ही वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो और उनका नाम बी.पी.एल. सूची में शामिल हो। इसी प्रकार पारिवारिक योजना लाभ के तहत किसी भी परिवार के मुखिया, जिसकी उम्र 60 वर्ष के नीचे हो, की मृत्यु हो जाने के पश्चात उस परिवार के आश्रितों को 20 हजार रुपये की मदद प्रदान की जाती है। बी.पी.एल. सूची में शामिल लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल पाता है,

जबकि प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड सहित सरकार की गरीब के लिए कई जनहित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एस.सी.सी. वर्ष 2011 के सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना 2011 की सूची के आधार पर दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में उपरोक्त सभी योजनाओ का लाभ गरीबों को बी.पी.एल. सूची के आधार दिया जाता था, परन्तु बी.पी.एल. सूची के निर्धारण में व्याप्त गड़बड़ी को देखते हुए संशोधन किया गया।

(1215/MM/SMN)

अत: सदन के माध्मय से सरकार से अनुरोध है कि सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की तरह वृद्धावस्था पेंशन एवं पारिवारिक लाभ योजना की सुविधा एससीसीसी, 2011 के समाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना वर्ष 2011 की सूची के आधार पर गरीबों को दी जाए और जो बचे हुए लोग हैं, उनको शामिल किया जाए, क्योंकि वे हतोत्साहित हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और डॉ० कुलमणि सामल को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी- उपस्थित नहीं हैं।

श्री हरीश मीना (दौसा) : अध्यक्ष महोदया, देश में मादक पदार्थों का बढ़ता हुआ व्यापार व सेवन न सिर्फ युवाओं के स्वास्थ्य के लिए ही खराब नहीं है, अपितु इससे आपराधिक प्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं। इसके कारण से पूरे देश का भविष्य अंधकार में है। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार को निर्देश दें कि इसके लिए सख्त नीति बने, जो लोग इसका सेवन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो लोग इनका व्यापार करते

हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दोसा समेत पूरे राजस्थान का युवा इसके कारण बर्बाद हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, इनको निर्देश दें कि इसके लिए अविलम्ब नीति बनायी जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ० कुलमणि सामल और श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री हरीश मीना द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): अध्यक्ष महोदया, पिछले दस साल में पंजाब को पिछली सरकार ने जो कोढ़ दिया है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। यह बात ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं।

महोदया, पिछली पंजाब की सरकार में बीजेपी का भी उनके साथ अलायंस था, इसलिए इनकी भी मदद करने की जिम्मेदारी बनती है। पिछले दस साल से जो हो रहा था, उस नशे को हमने, पंजाब की *… (Not recorded)* की सरकार ने बिलकुल बंद कर दिया है।…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): महोदया, रोज केसेस आ रहे हैं कि पंजाब में नशा बढ़ा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: किसी का नाम लेकर एलिगेशन रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे।

… (*Interruptions*) *… (Not recorded)*

माननीय अध्यक्ष: आप तो डेवलपमेंट के लिए फण्ड्स मांग रहे हैं।

…(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): महोदया, नशा छोड़ने के लिए 126 परसेंट नौजवान अस्पतालों में आ रहे हैं और उसके लिए हम प्रबंध कर रहे हैं। मेरा प्वाइंट है कि पंजाब में नशा बंद हो गया है।…(व्यवधान) लेकिन कांडला पोर्ट्स से इंटरनेशनल स्मगलर्स हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की तरफ से नशा सप्लाई कर रहे हैं।…(व्यवधान) अब पंजाब में बाहर से नशा सप्लाई हो रहा है। मेरी दो डिमाण्ड हैं कि जो नशे के इंजेक्शन पिछले दस साल से यूज़ कर रहे थे, उनको हेपिटाइटिस और पीलिया हो गया है। यह बहुत महंगा इलाज है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप रीडेवलपमेंट के लिए पैसा मांगिए।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : महोदया, पंजाब सरकार जितनी कोशिश कर सकती है, वह कर रही है, लेकिन केन्द्र सरकार से हमें हेल्थ के लिए मदद चाहिए। जिस 126 परसेंट यूथ को हम नशा छुड़वा रहे हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। मोदी जी ने भी अपने भाषण में यह बात कही थी कि हम स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा देंगे, लेकिन एक भी पैसा पंजाब में नहीं आया है। अगर नौजवान नशा छोड़ते हैं तो कोई न कोई काम तो हमें उन्हें देना होगा। इसलिए उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। ठाकुर साहब जो बोल रहे हैं, ये भी उतने ही भागीदार हैं, जितने अकाली दल वाले भागीदार थे।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपस की बातचीत का जवाब नहीं देते हैं।

Now, nothing will go in record.

… (*Interruptions*) … *(Not recorded)*

माननीय अध्यक्ष: यह आपसी बातचीत की जगह नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री मानशंकर निनामा (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डुंगरपुर, राजस्थान में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण से संबंधित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, मैं कल से इस मुद्दे को उठा रहा हूं…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या हुआ है?

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, बहुत बड़ा घोटला हुआ है…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने कल आपको बोलने का मौका दिया था। रोज-रोज नहीं होता है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे लिस्ट के अनुसार काम करना होता है।

…(व्यवधान)

श्री मानशंकर निनामा (बांसवाड़ा): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के साथ मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी के हिसाब से भुगतान कर आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण करवाया जा रहा है।…(व्यवधान) जबकि शहरी क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी

योजना संचालित न होने के कारण इतनी धनराशि में आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण करवाया जाना संभव नहीं है।...(व्यवधान)

1219 बजे

(इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

श्री मानशंकर निनामा (बांसवाड़ा): पूरे राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में अधिकांश आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के भवनों से संचालित हैं।...(व्यवधान) शहरी क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु सात लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र के निर्माण लागत के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार को केन्द्रीय अंश स्वीकृत करने हेतु पूर्व में भी अनुरोध किया गया है।...(व्यवधान)

मेरा सदन के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा के शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु सात लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र के निर्माण लागत के अनुसार केन्द्रीय अंश स्वीकृत करने की कृपा करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री मानशंकर निनामा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1220/SJN/MMN)

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Speaker, Madam, I want to raise a very important issue which I have raised several times in this august House regarding completion of

the unfinished work of approach road of newly constructed railway bridge over river Bhagirathi near Nashipur under Murshidabad district. The construction work of the bridge has already been completed at least eight years ago but the approach road towards Azimganj junction is still incomplete due to some land problem. I have requested the Government several times for immediate intervention in this matter and asked to instruct the State Government to resolve the land problem. But no action has been taken in this regard.

Under the circumstances, I again request the Minister, through you, to look into the matter on urgent basis and instruct the Departments concerned and also the State Government to resolve the land issues and start the unfinished work immediately and arrange to start the functioning of the railway bridge as soon as possible. Thank you, Madam.

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया और आज अंतिम दिन है। रेल विभाग की जो उपलब्धि होती है, वह क्षेत्र में सीधे सांसद के साथ जुड़ती है। आज के शून्य काल में मैं अपने क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपके माध्यम से रेल मंत्रालय तक पहुंचाना चाहता हूं। महोदया, झारखंड राज्य वर्ष 2000 में बना है और झारखंड के जो

सीमावर्ती जिले हैं, वे हैं गिरीडीह और कोडरमा। कोडरमा और गिरीडीह से प्रतिदिन रांची आने-जाने के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण, मैंने पहले भी यह विषय रखा था और आज जरूरत इस बात की है कि वहां पर ई.एम.यू. एक ट्रेन चलाई जाए जो प्रतिदिन गिरीडीह से चलकर कोडरमा, धनबाद का गोमो, बोकारो होते हुए रांची जाए और वह प्रतिदिन वापस भी आए। यह हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैंने यह विषय रखा था कि गिरीडीह और कोडरमा के बीच में जो रेलवे लाइन बनी है, उसमें दर्जनों रेलवे स्टेशन्स हैं। लेकिन उन स्टेशनों में कहीं प्लेटफार्म नहीं बना है, जिसके कारण महिलाओं और वृद्धजनों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में बहुत कठिनाई होती है। उसको बनाने का भी आश्वासन मिला हुआ है, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। मैं एक मांग और रखना चाहता हूं कि हमारे यहां जो स्टेशन्स हैं चौबै, चिचाकी और परसाबाद, इन स्टेशनों पर जम्मू-तवी सियालदह एक्सप्रेस और बांबे मेल का ठहराव परसाबाद में हो, क्योंकि लाखों और हजारों की संख्यों में लोग बांबे जाकर काम कर रहे हैं।

महोदया, रेलवे विभाग की उपलब्धि हम लोगों से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं यह बात आपके सामने रख रहा हूं ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री निशिकान्त दुबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री विष्णु दयाल राम, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सुनील कुमार सिंह को श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद। महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के साक्षरता मिशन में लगे हुए, देश में तो कई लाख

होंगे, लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग एक लाख शिक्षा प्रेरक जिनकी सेवाएं 31 मार्च, 2018 को समाप्त कर दी गई हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अभी भारत सरकार का शिक्षा मिशन का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। उसके बावजूद अकले उत्तर प्रदेश के अंदर एक लाख शिक्षा प्रेरक बेरोजगार कर दिए गए हैं। जब वे शिक्षा प्रेरक आंदोलन कर रहे थे तो उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने लखनऊ जाकर आश्वासन दिया था कि उनकी सेवाओं को बहाल किया जाएगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल शिक्षा प्रेरकों की सेवाओं को बहाल किया जाए बल्कि उनका अभी तक का मानदेय जो लगभग 656 करोड़ रुपया अकेले उत्तर प्रदेश के एक लाख शिक्षा प्रेरकों का बकाया है। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि उन शिक्षा प्रेरकों का पहले बकाया पूरा करें।

(1225/BKS/VR)

उनकी सेवाओं का विस्तार करें। आज देश सबसे ज्यादा बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र बेरोजगार हो गए, रोजगार सेवक बेरोजगार हो गए, साक्षरता प्रेरक बेरोजगार हो गए और दूसरी तरफ सरकार लगातार रोजगार देने की बात कर रही है, जबकि आज लाखों-लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस समस्या को गंभीरता से लेकर उपरोक्त लोगों की सेवाओं को बहाल करे।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती ज्योति धुर्वे को श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लखनऊ से सुलतानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 56 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां लखनऊ-सुल्तानपुर रोड बन रही है, उसमें खुर्देही एक बाजार पड़ता है, जिसमें दोनों तरफ सही तरीके से रोड का निर्माण नहीं किया जा रहा है। वहां पर लोगों की जो दुकानें और मकान हैं, उन दुकानों और मकानों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इल्लीगल तरीके से उनका अधिग्रहण किया जाता है। इस बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, न उन्हें बताया गया और अवैध तरीके से उनकी दुकानों और मकानों को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उन लोगों का नुकसान हो रहा है।

हमारी मांग यह है कि बीच रोड से दोनों तरफ जो चौड़ीकरण किया जा रहा है, उसे दोनों तरफ बराबर-बराबर लिया जाए और इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए या दो अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। जो मौके पर जाकर उसका सर्वेक्षण कर लें और उसकी रिपोर्ट के आधार पर एक रिपोर्ट दे दें, जिस पर कार्रवाई हो। यह मामला न तो वहां के जिलाधिकारी के संज्ञान में है और न भूमि अधिग्रहण अधिकारी के संज्ञान में है। इस तरह से वहां के दुकानदारों और मकान मालिकों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको उचित न्याय मिले, इसके लिए सरकार एक कमेटी गठित करके उनको न्याय दिलाने का काम करें और बीच सड़क से दोनों तरफ बराबर-बराबर सड़क लेने का काम करे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री कौशल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. यशवंत सिंह (नगीना): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से हैल्थ विभाग का ध्यान केन्द्र सरकार के सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत कार्यरत 267 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एवं ऑपरेशन मैनेजर्स की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 2006 में इन लोगों की नियुक्ति की गई थी। सी.जी.एच.एस. द्वारा इनका इंटरव्यू लिया गया, सी.जी.एच.एस. द्वारा सारे मानक पूरे किए गए और इन 267 लोगों की नियुक्ति करने के बाद इनकी सैलरी देने का अधिकार एन.आई.सी., एन.आई.ई.सी. और एस.आई.सी. एजेन्सी को दे दिया गया। उस एजेन्सी के कारण इन लोगों की सैलरी में 35 परसैंट की कटौती होती है। ये लोग 12 सालों से लगातार बिना किसी ब्रेक के सी.जी.एच.एस. की सेवा करते आ रहे हैं। इनके ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार भी सी.जी.एच.एस. के पास है। सिर्फ बीच में एक एजेन्सी के आने के कारण इन्हें जो सैलरी मिलनी चाहिए, उसमें से इनकी 35 परसैंट सैलरी जी.एस.टी. तथा अन्य मदों की वजह से कट जाती है। इन्होंने अपने जीवन के मुख्य 12 साल सी.जी.एच.एस. को दिए हैं। अब ये कहीं बाहर नौकरी करने के पात्र भी नहीं रह गए हैं। कोर्ट का एक आदेश समान वेतन, समान काम का है। उसके अनुसार मैं आज माननीय मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो 12 सालों से काम कर रहे हैं, इन्हें या तो रेगुलर किया जाए और यदि रेगुलर नहीं किया जाता तो इनको कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स के तरीके से बराबर वेतन दिया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र तथा श्री शरद त्रिपाठी को डा. यशवंत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): मैडम, मैं आज इस सदन का ध्यान दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार के लिए हमने दो साल पहले दि राइट्स ऑफ डिसएबल्ड पर्सन्स एक्ट, 2016 कानून बनाया, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की डिसएबिलिटीज निश्चित की गईं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमैंट ने 4 जनवरी, 2018 को एक नोटिफिकेशन के जरिए डिसएबिलिटीज का असेसमैंट और दिव्यांग सर्टिफिकेट्स देने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसके बावजूद कई राज्यों में ब्लड डेफिशिएंसी को लेकर जो डिसएबिलिटीज होती हैं, जैसे हिमोफीलिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, जिन्हें कानून के तहत डिसएबिलिटी करार दिया गया है, लेकिन उन व्यक्तियों को डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उन्हें कई सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।

यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज की भर्ती के लिए 7 फरवरी, 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें दिव्यांगों के लिए 2016 में जो आरक्षण रखा गया था, उसके अनुसार सभी प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति इस आरक्षण के लाभार्थी होंगे। इसके बावजूद उनका जो फॉर्म आता है, उसमें ब्लड डिसएबिलिटी से अफैक्टिड जो लोग हैं, उनका यह फॉर्म भरा नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर यह ऑप्शन नहीं है तो उससे वे वंचित रह जाते हैं।

(1230/GG/SAN)

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरी यह दरख्वास्त है कि पर्सनल और ट्रेनिंग मंत्रालय, जिसके अधीन यह एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है, उस मंत्रालय को इन

डिसेबल्स को भी इसमें शामिल करने को कहा जाए। इसके साथ ही हरेक राज्य को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने के लिए जल्द से जल्द वहां की सरकारों को सूचित करें।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. कुलमणि सामल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद, श्री अरविंद सावंत, प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री दुष्यंत चौटाला को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस देश के सबसे कम प्रभावशाली और अधिकारों से जो वंचित रहे हैं, ऐसे वर्ग अथवा ऐसे बच्चों की ओर, जिन्हें अंग्रेजी में ऑरफंस कहा जाता है, उनकी संख्या हमारे देश में अनुमानित लगभग दो करोड़ है। ऐसे निराश्रित बच्चे या तो छोड़ दिए गए हैं या जिनके माता-पिता नहीं हैं। जिनकी आबादी अनुमानित है कि हमारे देश में जितनी है, वह श्रीलंका की आबादी से भी अधिक है। वैसे तो हम यहां सदन में कई बार आरक्षण को ले कर चर्चा कर चुके हैं। मेरा यह मानना है और मुझे लगता है कि पूरे सदन का भी यह मानना होगा कि सबसे पहला अधिकार यदि आरक्षण में किसी वर्ग का होना चाहिए तो वह इन ऑर्फंस का होता है। लेकिन इनको आरक्षण का अधिकार तो कहां मिला, समानता का भी अधिकार नहीं मिल पाया है। इस संबंध में, सुप्रीम कोर्ट की एक एडवोकेट पुलोमी पावनी जी हैं, उन्होंने एक पीआइएल फाइल की है कि इन बच्चों को, जिन्हें न तो शिक्षा मिल रही है, न तो रोज़गार मिल रहा है, न ही आरक्षण प्राप्त हो रहा है, इनको राइट टू लाइफ, इक्वॉलिटी एण्ड एजुकेशन मिले। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है और मैं

सरकार से मांग करता हूँ कि सर्वप्रथम एक आधिकारिक सर्वेक्षण किया जाए और यह देखा जाए कि ऐसे कितने बच्चे हमारे देश में हैं, जिन्हें संरक्षण तथा केयर एण्ड प्रोटैक्शन की आवश्यकता है। साथ ही साथ मेरी दूसरी मांग यह है कि इसी सदन में एक कानून ला कर ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने का कानून पारित करें।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री शरद त्रिपाठी को श्री राघव लखनपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Madam Speaker, in my Lok Sabha constituency, Chevella, there is a small town called Shamshabad. It used to be a small village. Now, an international airport has come there and it has become a part of Hyderabad.

There is a narrow one-lane railway underpass. Now, the population has increased multi-fold. So, there is a huge congestion. I would request the hon. Railway Minister to widen the said underpass (bridge number 74) from Umdanagar to Timmapur.

I would also request for construction of a railway underbridge at Satamarai Village in Shamshabad Mandal, a railway overbridge

near Vikarabad Court on Tandur Road and a railway overbridge at Ramyagadha Road, Vikarabad.

Madam, these facilities are very much required to decongest the railway crossings.

Thank you.

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात सदन में रखना चाहता हूँ। जो समाज का सबसे कमजोर कर्मचारी है, मजदूर है, उसे दो प्रकार का न्यूनतम वेतन मिलता है। एक राज्य सरकार तय करती है और एक केंद्र सरकार तय करती है। विभिन्न राज्यों में अगर आप देखें तो उनकी न्यूनतम मजदूरी, केंद्र सरकार के द्वारा जो न्युनतम मजदूरी है, उसकी आधी भी नहीं है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि राज्य सरकारों से समन्वय कर के न्यूनतम मजदूरी को या तो एक करें या बहुत ज्यादा जो गैप है, कहीं दुगने का गैप है, उस गैप की पूर्ति करें। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करोड़ों गरीबों का उद्धार किया है। मैं समझता हूँ कि इस बिंदु पर न्युनतम मजदूरी के मामले में भी इनका उद्धार करने का काम करें। आपके माध्यम से मेरी यही विनती है।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1235/CS/RBN)

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल) : महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ...(व्यवधान) मैं यहाँ झारखंड के संबंध में बात करना चाहता हूँ कि झारखंड में बिजली की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है।...(व्यवधान) केन्द्र सरकार यह कहती है कि हम हर गाँव तक बिजली पहुँचाएंगे, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट कान्ट्रेक्टर्स को जो काम दिया गया है, उसकी वजह से वहाँ पर अभी बहुत खराब स्थिति बनी हुई है।...(व्यवधान)गाँवों तक काम नहीं हो रहा है और लोगों से अनावश्यक रूप से पैसा वसूला जा रहा है। हमारे राज्य की राजधानी में भी 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। माइंस में इल्लीगल तरीके से अतिरिक्त पैसा लेकर बिजली दी जा रही है।...(व्यवधान)

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ पर बिजली की स्थिति को सुचारू किया जाए और जिन्हें गाँव-गाँव तक बिजली पहुँचानी है, उन प्राइवेट कान्ट्रेक्टर्स पर विशेष ध्यान दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार दिवाकर (हाथरस) : महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान एच.ए.डी. गाड़ी (हाथरस-अलीगढ़-दिल्ली) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला हाथरस से दिल्ली के लिए प्रतिदिन एकमात्र यही रेलगाड़ी चलती है। इस

रेलगाड़ी में शौचालय युक्त डिब्बे न होने के कारण बुजुर्ग और महिला यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।…(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पैसेंजर गाड़ी के लिए जल्द से जल्द शौचालय युक्त डिब्बों की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें ताकि आने-जाने वाले यात्रियों को शौचालय की समुचित व्यवस्था मिल सके।…(व्यवधान)

महोदया, इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि हमारे हाथरस के काका हाथरसी विश्व प्रसिद्ध कवि रहे हैं। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि हाथरस जंक्शन का नाम काका हाथरसी के नाम पर रखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. कुलमणि सामल को श्री राजेश कुमार दिवाकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Mohammad Salim – Not present.

(PROF.) A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Madam Speaker, in my parliamentary constituency, Mahabubabad, one of the Assembly segments Mulug is having the oldest Ramappa monument. It was built in 12^{th} Century during the Kakatiya dynasty. Our Government and, I personally, submitted the dossier for identification and

inclusion in the UNESCO World Heritage Sites. It is a very famous temple. We have submitted the dossier for identification and inclusion of the monument in the UNESCO World Heritage Sites. But unfortunately the Archaeology Department and the Minister of Culture are not considering our request for the last three years. We have submitted the dossier as per the requirement. Whatever they have asked we have given it in writing. As I said, we have submitted the dossier for identification and inclusion of the monument in the UNESCO World Heritage Sites. Thank you.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): महोदया, कोरम नहीं है।…(व्यवधान)

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।…(व्यवधान)

महोदया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के विकास का मुद्दा उठाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरा क्षेत्र बुलंदशहर दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरा क्षेत्र एनसीआर में आता है, लेकिन विकास के मामले में एनसीआर की कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है। वहाँ न तो कोई अच्छा विश्वविद्यालय है और न ही वहाँ स्वास्थ्य की कोई अच्छी सुविधा है। मेरे क्षेत्र के लिए ट्रेन की भी कोई व्यवस्था नहीं है।…(व्यवधान) मेरे यहाँ के लिए कोई ट्रेन नहीं जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के लिए एक ट्रेन लाइन का सर्वे हुआ है, वह सर्वे पूर्ण हो जाए।

ग्रेटर नोएडा के परी चौक से मेरे क्षेत्र की दूरी मात्र 35 किलोमीटर है। परी चौक तक मेट्रो जा चुकी है।…(व्यवधान)

मैं सरकार से माँग करता हूँ कि मेट्रो का विस्तार मेरे क्षेत्र तक किया जाए। मेरे क्षेत्र में एक डिबाई स्टेशन पड़ता है, पहले वहाँ दादर एवं महाकाल ट्रेन का स्टॉपेज था। वहाँ इन ट्रेनों का स्टॉपेज देने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भोला सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम): महोदया, कोरम नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं।…(व्यवधान)

1239 बजे

(इस समय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदया, मैं भारत सरकार का ध्यान एक विशेष विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंदर मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, वह विश्व प्रसिद्ध है। आज के दिन दूध उद्योग के अंदर बहुत ही अहम योगदान मेरे लोक सभा क्षेत्र के लोगों का रहता है। आज यह हालत है कि लोग पानी को 180 रुपये लीटर तक विदेशी नाम पर बेचने

का काम करते हैं, लेकिन दूसरी ओर आज दूध की जो वैल्यू है, वह 30 और 35 रुपये लीटर के बीच में रखी जाती है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि उसे किसानों को ऑल्टर्नेटिव सोर्स ऑफ इन्कम राइट रेवोल्यूशन के नॉर्म पर लाने के लिए काननू लाना चाहिए। जिस तरह से किसानों ने व्हाइट रेवोल्यूशन पर अपना योगदान दिया है, दूध के अंदर भी कम से कम 40 रुपये लीटर के हिसाब से एम.एस.पी. तय करना चाहिए। इससे आने वाले समय में किसानों को दूध उद्योग के लिए भारी मदद मिलेगी।

(1240/RV/SM)

इसके साथ ही साथ, पानी की कीमत, जो आज 180 रुपये प्रति लीटर तक है, भारत सरकार उसे बीस रुपये प्रति लीटर से नीचे प्रतिबंधित करने का काम करे।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1241 बजे

(इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

…(व्यवधान)

*SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Hon Madam Speaker, Vanakkam, Hosur is an industrial town in my Krishnagiri Parliamentary Constituency.

* Original in Tamil.

In order to reach Chennai and other places by using air connectivity, we need to go to Devanahalli Airport which is 83 kilometers away from Hosur. It takes more than 2 hours and 30 minutes to reach Devanahalli airport which is 83 kilometers away from Hosur. Under the UDAN Scheme announced by the Ministry of Civil Aviation for providing better regional air connectivity, it was proposed to start a flight service between Hosur and Chennai by linking all the neighbouring potential districts and towns benefitting the common man including the poor. Taneja Aerospace and Aviation Limited (TAAL), a private company said that it's air field in Hosur may be utilized for starting this flight service between Hosur and Chennai. Moreover, in a Memorandum of Understanding signed between the State Government of Tamil Nadu and the Ministry of Civil Aviation, it was assured to start this flight service between Hosur and Chennai before September, 2017.

But till date this flight service has not been started. I therefore urge upon the Union Minister for Civil Aviation, through this august House, to start this flight service under UDAN Scheme between Hosur and Chennai at the earliest. Thank you.

1242 बजे

(इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा अपने स्थान पर वापस चले गए।)

…(व्यवधान)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Madam, my Point of Order is that there is no quorum in the House.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): माननीय अध्यक्षा जी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्लास्टिक की जितनी खपत होती है, उसका 70 प्रतिशत कचरे के रूप में डम्प किया जाता है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोरम है, सब कुछ है। जीरो आवर चल रहा है, so no Point of Order.

…(व्यवधान)

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): सीपीसीबी द्वारा जारी रिपोर्ट में आई.आई.टी. व सी.एस.आई.आर., लखनऊ द्वारा एक अध्ययन में बताया गया है कि उक्त प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री, जिसे डम्प किया जाता है, वह जहरीले गैसों को छोड़ने के साथ ही खतरनाक कैंसर जन्य तत्वों की लीचिंग करके मिट्टी व पानी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

माननीय अध्यक्षा जी, खाद्य पदार्थों की प्लास्टिक पैकेजिंग स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि प्लास्टिक से लेड, एंटीमनी आदि तत्वों की लीचिंग खाद्य पदार्थों में होती है, जिसकी पुष्टि प्रयोगशाला परीक्षणों द्वारा की गई है।

महोदया, विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों, अनुसंधानों व प्रयोगशाला के परीक्षणों से प्लास्टिक में पैक्ड खाद्य, फार्मा व डम्प्ड प्लास्टिक से पानी व मिट्टी में कैंसर यौगिकों की लीचिंग की पुष्टि हुई है।

माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि खाद्य पदार्थों के लिए प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए व डम्प्ड प्लास्टिक कचरे की री-साइक्लिंग या अन्य हानिरहित प्रावधानों के लिए सरकार विचार करे।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): Madam, my humbly repeated submissions highlighting the hardships of our Tamil Nadu fishermen, are continuously ignored by the Centre. The office of the Prime Minister must make a concerted effort involving all the Ministries like External Affairs, Agriculture, Defence, Home, Skill Development and even the Finance Ministry, apart from the Ministry of Environment, otherwise, our poor Tamil fishermen will suffer endlessly. Our economic interests and traditional fishing rights, especially around Rameswaram coast are affected seriously.

Even last week, the Rameswaram fishermen protested against the apathy of the Union Government. They are not getting back their

fishing boats taken away from our own waters by the Sri Lankan Navy even after two years. They are seizing our catches, capturing our boats and attacking our fishermen.

Asserting our fishing rights in our own waters near Katchatheevu is a definite need. So, I would like to bring this issue before Parliament in the form of an amendment to Article 368 of our Constitution. The Centre must also give utmost importance to protect the livelihood of fishermen by enacting a law pertaining to Coastal Zone.

Hence, I urge upon the Prime Minister to solve all the problems faced by our fishermen which I have been highlighting all these four years.

HON. SPEAKER: Dr. J. Jayavardhan is permitted to associate with the issue raised by Shri A. Anwhar Raajhaa.

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र।

…(व्यवधान)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): अध्यक्षा जी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: क्या आजकल मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है?

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): अध्यक्षा जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में कैंसर के रोगी बड़ी मात्रा में हैं। वहां 200 से 300 किलोमीटर की दूरी तक भी कैंसर का कोई सेन्टर नहीं है। यहां तक कि सिकाई का भी कोई सेन्टर नहीं है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरे बांदा जिले में मेडिकल कॉलेज है। चित्रकूट में जिला अस्पताल है। बांदा तो मंडल का मुख्यालय है। वहां पर कैंसर के इलाज की एक शाखा खोल दी जाए, जिसमें पर्याप्त व्यवस्था हो, जिससे वहां कैंसर के रोगियों को सुविधा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1245/MY/AK)

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): Thank you, Speaker, Madam. In my Constituency, the work regarding Karaikudi to Pattukottai broad-gauge conversion was finished, and the Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) service was operated by the Railway authorities.

The DEMU from Karaikudi to Pattukottai, the bi-weekly passenger train, was being operated. This passenger train takes over six hours in both directions to travel just a distance of 80 kms.

due to shortage of manpower for manning the level-crossing gates falling along this stretch. There are about 35 such gates in this route.

The DEMU train is being run with Travelling Gatekeepers on-board in both directions, and they have to get down at every level-crossing to close and open the gates. This process is pathetic and really time-consuming. This inordinate time delay could only be avoided if the Railways appoint regular gatekeepers for the same.

The DEMU train has seven stoppages. This train must be extended up to Madurai *via* Manamadurai, and should be operated on a daily basis instead of weekly basis. Thank you, Madam.

SHRI SAUMITRA KHAN (BISHANPUR): Thank you, Madam, for giving me the opportunity. मेरे लोक सभा क्षेत्र बिशनपुर एवं जिला बांकुड़ा में एनएच-60 है, अभी तक यह रोड टू-लेन का ही है। एनएच-60 मेरे लोक सभा क्षेत्र के मेजिया, दुर्लभपुर, बांकुड़ा तथा बिष्णुपुर से होकर जाता है। मेरा डिमांड है कि यह रोड कम से कम फोर लेन का होना चाहिए। आज बहुत सारी गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, जिसके कारण बहुत ऐक्सिडेंट्स हो रहे हैं। मेरी मांग है कि इस टू-लेन रोड को फोर-लेन किया जाए। धन्यवाद।

DR. ANUPAM HAZRA (BOLPUR): Thank you, Madam, for giving me the opportunity to raise a vital issue.

I represent the Constituency of Bolpur in West Bengal. In Bolpur, the only Central University of West Bengal is situated, namely, Visva Bharati University.

Madam, I would like to inform you that few years back, due to corruption and mismanagement, the last regular Vice-Chancellor was directly dismissed by the Ministry, and since the last 3-4 years, this University is being run by an in-charge Vice-Chancellor.

Recently, I came to know that the interview of the Vice-Chancellor has taken place, but unfortunately, the current in-charge Vice-Chancellor is also a close associate of the earlier Vice-Chancellor who was dismissed by the Ministry. She is trying her level best to become the permanent Vice-Chancellor.

So, I would like to plea to the hon. HRD Minister, through you, that the current in-charge Vice-Chancellor, Prof. Sabujkali Sen, should not be selected for this post. I have given enough representation to the Prime Minister's Office because he is the Chancellor of that University as well as to the Office of the hon. President of India regarding this issue. Further, enough corruption-related allegations are also there against her. So, I would like to place

this issue here on an urgent basis in front of the HRD Minister. Thank you, Madam.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में 65 से 70 परसेंट वन-क्षेत्र होता है। वहां सात से अधिक राष्ट्रीय वन पार्क हैं, जिसमें राजाजी नेशनल पार्क और कार्बेट पार्क प्रमुख हैं। इनको देखने के लिए पूरी दुनिया आती है।

अध्यक्ष जी, आजकल आदमखोर बाघ के आतंक से हरिद्वार लोकसभा-क्षेत्र समेत पूरा एरिया सहमा हुआ है। वहां दर्जनों लोगों को आदमखोर बाघों ने मारा हैं। जहां एक ओर आदमखोर बाघ घरों में घुसकर लोगों को मार रहे हैं, वहां दूसरी ओर हाथी द्वारा भी मकानों को तोड़कर घर के अंदर से बच्चों को उठाकर मारने का क्रम चल रहा है। इस प्रकार की घटनाएं व्यापक स्तर पर हो रही हैं। इधर बाघों तथा हाथियों की मार हो हो रही है और दूसरी ओर बाढ़ से हरिद्वार और ऋषिकेश के दर्जनों गांव बिल्कुल डूबे हुए हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इन जंगली जानवरों के आतंक से हमारे क्षेत्र के लोगों को बचाया जाए। इन्होंने खेती को बर्बाद कर दिया है तथा लोगों को जीना भी दूभर कर दिया है। जंगली जानवरों से लोगों को सुरक्षित करने के लिए तार-बाड़ लगाया जाए, इलेक्ट्रिक तार की व्यवस्था की जाए, दीवार लगाई जाए और जो लोग प्रभावित हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से मुआवज़ा दिया जाए, क्योंकि परिवार में एक ही व्यक्ति काम करने वाला होता है। यदि उसको बाघ मार देता है तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, इसलिए उसको एक सरकारी नौकरी

जरूर दी जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार इस समस्या की तरफ जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. अंशुल वर्मा तथा कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1250/SPR/CP)

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, I would like to raise the following matter of urgent public importance regarding Post Matric Scholarship Scheme to the students belonging to the SCs and STs.

Knowing full well that social and economic upliftment of under-privileged sections of the society is possible only by ensuring their educational progress, the Tamil Nadu Government has been implementing the Post Matric Scholarship Scheme to the students of SC/ST community, which is a Centrally Sponsored Scheme.

Unfortunately, the Centre, through a revision in its guidelines, had notified that the fees claimed by students who took admission against Management Quota/Spot Admission would not be reimbursed with effect from April this year. In Tamil Nadu, a large number of students were availing this benefit which led to

tremendous growth in the Gross Enrolment Ratio. But due to revision in guidelines, the poor SC students would not be able to pursue higher and technical education, which may cause serious resentment and unrest among this community.

Another issue is the sharing pattern between the Centre and the State. Presently, expenditure under this scheme, at the end of the five years, is taken as the committed liability, which was Rs.353.55 crore in 2011-12. But from 2017-18, it has risen to Rs.1,526.46 crore, which puts unbearable burden on the State's finances.

Hence, I request the Government to fund this scheme in 60:40 ratio between the Centre and the State. Further, release of funds by the Centre to Tamil Nadu over the years has been delayed and inadequate. Till 2017-18, the Government, of Tamil Nadu is to receive arrears of Rs.1579.58 crore from the Indian Govt. Hence, I request the Government, of India to release this amount immediately for the welfare of the poor SC students.

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदया, कल महाराष्ट्र पूरी तरह से बंद था। कई जगह बंद शातिपूर्ण था, तो कई जगह हादसे हुए। मैं कहूंगा कि मराठा आंदोलन के लिए सारे कार्यकर्ता रास्ते पर आए थे, मगर बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने आंदोलन

किया। मराठा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए। सभी दलों ने इसके लिए मांग की है। शिव सेना पार्टी ने भी मांग की है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए।

वालुज, बजाजनगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां बंद होने के कारण बंद फैक्ट्रीज में कई लोग घुसे। मराठा समाज के आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ लोग उसमें घुसे और अंदर जाकर तोड़फोड़ की, कंप्यूटर तोड़े। मैं आपको कंपनियों के नाम बताता हूं। स्टरलाइट एक बड़ी कंपनी है, उनके यहां गए, इंड्योरेंस में गए, गुडईयर में गए, सिमेंस में गए, एफडीसी में गए, माइलॉन में गए, एट्रा फार्मा में गए, एनआरबी बेयरिंग में गए, कांपैक में गए, वोकहार्ट में गए। यह सब पुलिस के सामने हो रहा था। पुलिस के सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी जलाई गई, पुलिस की गाड़ी भी जलाई गई। पुलिस कमिश्नर वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ये लोग कौन थे, जिन्होंने आंदोलन को बदनाम करने के लिए वहां तोड़फोड़ की। भारत सरकार की ओर से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): महोदया, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच के अनुसार इस देश के गांव, गरीब, किसान मजदूरों के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से सभी को गैस कनेक्शन देने की योजना शुरू की गई। पहले चरण में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो सामाजिक और आर्थिक

रूप से पिछड़े थे, उनको इसे देने की बात की गई और बाद में माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ गैस कनेक्शंस देने की योजना की गई। लगभग 5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शंस दिए जा चुके हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि समाज में जो दिव्यांग हैं, उनको भी इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाए, जिससे उनको भी नि:शुल्क कनेक्शन देकर उनके जीवन में सुधार किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

बिहार में लोहार जाति की आरक्षण श्रेणी अंग्रेजी और अनुवाद में उलझकर रह गई थी। तब अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत क्रमांक–22 पर दर्ज Lohara, Lohra की हिंदी 'लोहार' 'लोहारा' अंकित की गई। वर्ष 2006 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में इसके स्थान 'लोहारा', 'लोहरा' प्रतिस्थापित कर दिया गया।

(1255/NK/UB)

संशोधन एक्ट 48/2006 की वजह से मामला उलझ गया है। बिहार सरकार ने इस खामी को दूर करने के इरादे से विभिन्न संगठनों से परामर्श किया तथा सामाजिक संस्थानों से इथनोग्राफी रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजा। इस रिपोर्ट पर कोई

निर्णय हो इसके पहले ही केन्द्र सरकार ने 9 मई, 2016 को जारी गजट अधिसूचना में 229 पुराने कानून संशोधन विधेयक में से 290 को निरस्त कर दिया। इसी में वर्ष 2006 का वह संशोधन विधेयक भी था जिसमें बिहार की लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति माना गया था। वर्ष 2006 का संशोधन अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम, 1976 में किया गया जिसमें अंग्रेजी के लोहारा का हिन्दी ट्रांसलेशन लोहार दर्ज है। बिहार में बोलचाल की भाषा में लोहार जाति के लिए लोहरा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अंग्रेजी में सुरेन्द्रा को हिन्दी में सुरेन्द्र कहते हैं न कि सुरेन्द्रा। पूर्व की सरकार ने जातिगत राजनीति करने के ख्याल से देश को जातियों के आधार पर बांटा है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ही हमारे लोहार भाई-बहनों को इंसाफ दिलाने में अग्रसर है।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI RAMCHANDRA HANSDAH (MAYURBHANJ): I would have preferred to speak in Santhali but I hope that it will happen in the next Session.

Madam, there are eighteen biosphere reserves corresponding to IUCN Category V Protected Areas and Simlipal is one of those areas. It is also situated in my constituency. The Simlipal Sanctuary

could not be declared as National Park. As around sixty-four families are staying inside, the core area could have not been relocated.

Biosphere reserves are meant for protecting larger areas of natural habitats, not only with flora and fauna but also with symbiotic existence of the people around it. The protection of the Sanctuary could only be assured if we could provide sustainable livelihood to the inhabitants residing inside the biosphere region.

Therefore, the development of eco-tourism spots inside the region is very essential. If the Ministry of Tourism or Ministry of Forest, Environment and Climate Change pays enough attention to develop tourism in the Simlipal area, livelihood for a lot of people could be ensured.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रामचन्द्र हाँसदा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): I would like to raise a very important issue of health infrastructure in my constituency. We have a serious dearth of physical infrastructure. Hence, I requested the hon. Minister many times through you to sanction tele-medicine centres and they were sanctioned. The hon. Minister of the Union Government sanctioned many tele-medicine centres in my

constituency but, unfortunately, these tele-medicine centres were opened in the urban areas only. In the rural areas, even today, we have a serious dearth of medical amenities.

So, I request the hon. Minister through the Chair to kindly enquire into this matter and sanction tele-medicine centres in the rural areas also.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती कोथापल्ली गीता द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक तरफ देश में मरीजों की तुलना में डॉक्टरों की कमी है और जीएसएस जैसे संस्थान हैं, वहां डीजीएचएस और एमबीबीएस से ऊपर की डिग्री प्राप्त डॉक्टर अगर ओपीडी में बैठते तो दो सौ से लेकर पांच सौ मरीजों को देखते। एक तरफ एनपीए ले रहे हैं और दूसरी तरफ मरीजों को न देख कर केवल क्लेरिकल कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन डॉक्टरों को ओपीडी में बैठा कर और मरीजो के हित सुनिश्चित करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री विनोद कुमार सोनकर को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, the demands have been raised by EPS-90 pensioners. There are upwards of 60 lakh EPS-95 pensioners nationwide. They have contributed for their social security throughout their life. However, they are getting meagre pension of Rs. 200-2,500 only. This makes it impossible for senior citizens to live respectably in this meagre amount.

On 6th December, 2017, the hon. Minister of Labour and Employment invited representatives of the EPS-95 pensioners for a detailed discussion in the presence of concerned bureaucrats. The hon. Minister principally agreed to their demands and also sent recommendations to the hon. Finance Minister and the hon. Prime Minister.

(1300/KMR/SK)

However, there have been no results till date. They have four main demands:

1. They are requesting a higher pension on full salary, as per the decision of hon. Supreme Court, and the withdrawal of EPFO interim advisory of May 2017.

2. They request Rs.7,500 as basic pension plus DA, adjusting it based on inflation, as recommended by Koshiyari Committee.

3. They request medical facilities to all EPS95 pensioners and their spouses.

4. They want to include EPS non-pensioners in these schemes by granting them *ex post facto* membership.

Therefore, I request the hon. Minister to address the grievances and to state before the House his time-bound assurances in view of the demands raised so as to resolve the issue at the earliest.

SHRI PRASUN BANERJEE (HOWRAH): Madam Speaker, I am really happy that you have given chance to me. I have a small question but a very serious question.

I am from Howrah Constituency in West Bengal. यहां शालीमार स्टेशन है। शालीमार से संत्रागाची की दूरी दो किलोमीटर है। यहां रेलवे क्रासिंग के ऊपर फ्लाई ओवर नहीं है, कुछ इंतजाम नहीं है। यहां के लोग 40 साल से मुश्किल में हैं। बक्सारा क्षेत्र से हावड़ा जाना होता है तो कहा जाता है कि मेल ट्रेन जाएगी और इसलिए एक, दो या तीन घंटे क्रासिंग बंद कर देते हैं।

मेरी आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि यहां फ्लाई ओवर बनना तो मुश्किल है, लेकिन एक अंडरपास बना दें तो यहां से एम्बुलेंस जा सकती है।

यहां से एम्बुलेंस के जाने में बहुत दिक्कत होती है। अंडरपास बनने से यह मुश्किल आसान हो जाएगी। धन्यवाद।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, final draft of Kasturirangan Report is yet to be finalised. In Kerala, 125 villages are adversely affected by the Kasturirangan Report for being in ecologically sensitive area. The Government of Kerala has appointed Oommen V. Oommen Committee for a detailed study on the basis of Kasturirangan Report. The Oommen V. Oommen Committee has made a detailed study and identified which are the populated areas and which are the ecologically sensitive areas. But the Ministry of Forests and Environment of the Central Government has not taken any steps to declare the final draft of Kasturirangan Report. In Kerala, especially in the hill areas, thousands of families and lakhs of farmers are facing problems. They are unable to construct houses; they are unable to cultivate lands. This is a very sensitive issue in Kerala. Therefore, I would request the Government of India to intervene in the matter and take care of the interests of the people of Kerala. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Kodikunnil Suresh.

SHRI PARTHA PRATIM RAY (COOCHBEHAR): Madam Speaker, for the people of Coochbehar, Alipurduar and Jalpaiguri Districts, the three rivers of Teesta, Torsa and Jaldhaka flowing through the Districts are the primary source of water. All these three rivers are tributaries of Brahmaputra flowing from Tibet. So, when heavy rainfall is noted in the Himalayan region the Brahmaputra floods these rivers and causes havoc in the villages of the Districts. In extreme situations, communications between the villages are lost. Every year people suffer in these three Districts due to Brahmaputra floods. The Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation have formed the Brahmaputra Board in 1982 to address the issue in the Brahmaputra Valley. I, therefore, request the Government to respond to the situation in Coochbehar, Alipurduar and Jalpaiguri Districts.

*SHRI IDRIS ALI (BASIRHAT) : Hon. Speaker Madam, I am deeply grateful to you for allowing me to speak in Zero Hour. At the same time I am also grateful to our Hon. Chief Minister Smt. Mamata

* Original in Bengali.

Banerjee for whatever I am today. I will not take much time but will say a few things in Bengali.

Madam, during the Left Front Government in West Bengal, huge amount of loan was taken.

Now our Government has to repay it. So with due respect I urge upon the Central Government to give relaxation and waive off the loan.

Madam you are our custodian. So I appeal to the Central Government through you Madam that kindly ensure that the forthcoming Janmashtami festival is celebrated peacefully in the country.

(1305/MK/GM)

Madam, I appeal to the Central Government and the State Government to take necessary steps so that Janmashtami and Idu'l Zuha may be observed peacefully.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से लखनऊ से जम्मू तक डॉयरेक्ट फ्लाइट चालने के लिए माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं। वहां पर प्राइवेट एयरलान्स इंडिगो है, लेकिन मैं चाहती हूं कि वहां एयर इंडिया की भी सेवा देने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती अंजू बाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अब हम सदन यहीं पर स्थगित करते हैं। दोबारा दो बजकर पांच मिनट पर मिलेंगे।

1306 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा दो बजकर पांच मिनट
तक के लिए स्थगित हुई।

(1405/RPS/RSG)

1407 hours

The Lok Sabha re-assembled at seven minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Kalraj Mishra *in the Chair*)

ARBITRATION AND CONCILIATION (AMENDMENT) BILL

1407 hours

माननीय सभापति (श्री कलराज मिश्र): आइटम नम्बर-26, माननीय मंत्री जी। THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): Hon. Chairman Sir, on behalf of Shri Ravi Shankar Prasad, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996, be taken into consideration." … (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): सर, मैंने एक मुद्दा उठाया था।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, बिल के बारे में बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आदरणीय खड़गे जी से आग्रह करूंगा कि बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। आप बैठ जाएं। उसके लिए जब उचित अवसर होगा, तब बोलेंगे।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब बिल पर चर्चा प्रारम्भ हो गई है, मैंने मंत्री जी को बोलने के लिए पुकारा है। कृपया बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): सर, यह क्या हो रहा है? …(व्यवधान)

माननीय सभापति : खड़गे जी, बिल शुरू हो गया है, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : खड़गे जी, आप बहुत पुराने लोगों में से हैं। अब आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): सर, इसमें नए और पुराने का सवाल नहीं है। यह सदन रूल्स के मुताबिक चलेगा या नहीं? …(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

SHRI P.P. CHAUDHARY: Hon. Chairman Sir, with respect to arbitration in our country and all over the world, I would like to quote the famous words of Mahatma Gandhi. … (*Interruptions*) This is the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018. I would like to quote the famous saying of Mahatma Gandhi because in our country,

deep-rooted in the villages, we have seen that issues are being settled by arbitration. I would also like to suggest to Shri Mallikarjun Kharge that if any issue is there, we could settle them outside Parliament also since we are talking about arbitration. … (*Interruptions*)

I would like to quote the words of Mahatma Gandhi. he said: “Differences we shall always have, but we must settle them all whether religious or other, by arbitration.” At the same time, Lord Denning, who was a famous jurist and judge, said and I quote: ‘In a way, arbitration is one of the most important spheres of activity in the system of administration of justice’. Likewise, in our country also, it is the policy of the Government that we always encourage resolution of disputes through arbitration; and alternative dispute resolution is one of the mechanisms whereby we can resolve disputes.

Due to globalisation, industrialisation, and development of economies all over the world, commercial disputes have increased manifold.

(1410/RK/ASA)

An imbalance has been created. On the one hand, a large number of disputes have been created and on the other, so far as

the resolution of a dispute is concerned, that is outpaced. Hence, this Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill will prove a milestone for resolution of the dispute between the parties.

I would also like to make it clear that a large number, around 30 million, of cases are pending in our country. With a view to unclog the pendency of the disputes, ADR mechanism has been created. Earlier, in the year 2015 we had amended the Arbitration and Conciliation Act,1996. By way of an amendment of the Act in 2015, it has been made user-friendly, cost effective and the cases are being decided expeditiously.

At the time of working of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, as amended in 2015, we had seen the practical difficulties with respect to the working of this Act. So, a High Level Committee was constituted under the Chairmanship of Justice B.N. Srikrishna, Supreme Court judge, to identify the roadblocks and find ways to remove them so as to make it more effective and also provide a mechanism of institutional arbitration. In our country we do not have the mechanism of institutional arbitration. Therefore, a robust Centre for Institutional Arbitration was created.

It may be a domestic arbitration or an international arbitration, we have seen that a large number of cases are being conducted outside the country. Whenever any arbitration issue is involved, the seat of arbitration is either in London, Singapore or Paris. We also have cases where the Government is involved in bilateral issues, issues like the bilateral treaty being signed with other countries. Those issues are also referred and decided by the arbitrators situated either here on in London or Paris.

Under the able leadership of the hon. Prime Minister, Narendra Modi ji, it was visualised that India should also have a seat of arbitration. We must also have an institutional arbitration. Therefore, for creating institutional arbitration, certain recommendations were made by the High Level Committee. Those recommendations were with respect to establishment of an independent body. Earlier, only the Arbitration Act was there and nowhere the institutional arbitration mechanism was provided. Although the Act came into force in 1996, no such body was created thereafter. Therefore, an independent body was required to be created for grading the arbitration and for accreditation of the arbitrator as also to minimise the need to

approach the Courts. Once it is done, most of the cases will be settled outside the Court.

We have seen that the developed countries' jurisdictions, like in America, UK and France, have the Alternate Dispute Resolution system outside the Court and maximum cases, around 75 per cent cases, are disposed of outside the courts. Courts are not being burdened with so many cases. India wants to create this mechanism so that not only the domestic issues but also the international arbitration issues could be settled in our country.

Taking into consideration the recommendations of the High Level Committee, constituted under Justice B.N. Srikrishna, certain recommendations were made with respect to the appointment of the arbitrators by the arbitration institution. Earlier, in case of dispute between the parties over the appointment of an arbitrator, we used to approach the High Court. The application used to be filed in the High Court and if any order is passed by the High Court, the aggrieved person can then first approach the Division Bench and then the Supreme Court.

(1415/PS/RAJ)

It takes a lot of time for the appointment of an arbitrator. Therefore, to curtail that time and to impart justice and redressal of the grievances of the aggrieved party, this mechanism has been created. Hence, arbitral institution has been created. Those arbitral institutions will not only be graded by the Council, but also by the hon. Supreme Court and the hon. High Court. If that particular institution is dealing with the cases with respect to the international arbitration, then those will be graded by the hon. Supreme Court. If those cases are within the jurisdiction of that particular hon. High Court, then that will be graded by the respective hon. High Courts. In case there is no creation of the arbitral institution or there is no appointment of the arbitrator, then the respective Chief Justices of the hon. Supreme Court and the hon. High Courts will take this into consideration. In case, there is no decision taken by the Council with respect to the gradation of the arbitral institution, then, as I have said, the Chief Justice of the hon. High Court shall maintain the panel of arbitrators. Those will function and will perform the duties of the arbitral institutions.

Sir, I would also like to make it clear that Part 1(a) is a newly inserted provision under 'The Arbitration and Conciliation Act, 1996, as amended by this Bill of 2018, for the establishment and incorporation of completely an independent body that has nothing to do with the Government. So, this body, that is, the Arbitration Council of India, has been created for the first time.

We want to make India as a hub of arbitration. The Council will be there for grading arbitral institutions and at the same time, it will provide accreditation to the arbitrators. Basically, *inter-alia*, the Arbitration Council of India will perform two functions: (a)grading arbitral institutions; and (b)accreditation of arbitrators. It will also provide certain norms. We are also authorising the Arbitration Council of India to provide the norms. Earlier, there was no institution to promote and encourage arbitration.

Now, we are creating the Arbitration Council of India to promote and encourage arbitration and also at the same time, we are creating it for the promotion of arbitration, mediation, conciliation and other alternative dispute redressal mechanisms. Apart from this, the Arbitration Council of India shall also evolve policy. The policy decision is required to be taken by that institution. We are also

delegating that power to them. There are also guidelines as to how it will function and how it will discharge its duties for the establishment, operation and maintenance of uniform professional standards. There will be so many arbitrators. Earlier, there was no educational qualification or experience. Now, it is being formalised. They will lay down the guidelines as to what type of standard is required for the arbitrator and as to what type of standard is required for the professional. Therefore, by creating this mechanism, we want to make India a hub of international arbitration.

Now, I come to the Statements of Claim and Defence. We have seen that a lot of time is wasted in the court. Earlier also, in the arbitration proceedings, a lot of time is wasted, due to so many adjournments. Basically, that was a roadblock in the ease of doing business for our country. We have also established commercial courts and those commercial courts are resolving the disputes. Besides arbitration, Insolvency and Bankruptcy Code and all these things have created an eco-system in our country. This is the reason that we have made a jump in the rank in the World Bank's ease of doing business from 136th rank to 103rd rank. There is an Insolvency and Bankruptcy Code apart from the commercial courts. We have

recently passed the Commercial Court Act, wherein the threshold limit has been reduced from Rs.1 crore to Rs. 3 lakh. In theory, we have performed well. But, in practice, we are awaiting the ranking from the World Bank and very soon, we will be graded well in ease of doing business because we are performing as per the guidelines, directions and vision of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji.

The statement of claim before the court is a very important aspect of the issue. Whenever we are filing any statement of claim before the arbitrator, then there is no time-limit fixed for filing the defence. So, for the first time, by bringing this amendment Bill of 2018, the statement of claim has to be filed immediately and defence has to be filed within six months, with effect from the date the arbitrator has received the notice of appointment.

(1420/RC/IND)

Once the Arbitrator receives the notice of affirment, within a period of six months, statement of claim by the petitioner stating what his claim is, what his demand is, what his grievances are, what redressal he is claiming before the Arbitrator are to be presented. The defence is also required to be presented within a period of six

months. We want that the justice delivery system should be fast and immediate so that justice could be imparted. Today, the foreign direct investors are there and they are also seeing what type of action is being taken by India. It will prove to be a milestone for our country.

As regards working, we have also created a mechanism for that. Earlier, the confidentiality was not there. We have introduced a provision in this amendment Bill for maintaining confidentiality. Earlier, the information used to be leaked and nobody was trusting our justice delivery system. That is why, we have provided a mechanism for maintaining confidentiality with respect to the working of arbitral institution completely. The confidentiality will be maintained with respect to the information furnished, Arbitrator, arbitral institution and the parties. So all the three – Arbitrator, arbitral institution and the parties are required to maintain the confidentiality.

Apart from this, protection has also been given to the Arbiter. An act or an omission of the Arbiter cannot be questioned or challenged. So, protection has also been given not only to the Arbiter but also to the arbitral institution.

As regards applicability, a clarification was required under Section 26 of the Act of 2015 as to when it will be applicable. Clarifications were sought as to when it will be applicable, from what date, etc. So some confusion was there. Therefore, we have issued a clarification. An amendment to this effect is also there.

It will be applicable only to the arbitral proceedings which had commenced on or after 23rd October, 2015. At the time of enacting the Act of 2015, we had made it clear.

So, these are my preliminary views. I would request the hon. Members that it may kindly be considered and may also be passed.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KALRAJ MISHRA): Motion moved:

"That the Bill further to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996, be taken into consideration."

1423 hours

SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR (GURDASPUR): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

I would really love to call it the most important Bill for which we are taking the time of the House. Somehow the Government in its wisdom has decided to grant priority to a Bill on arbitration rather than talk about the plight of the farmers and the so called achievement of increase in MSP. These issues have been relegated to the side lines and here we are talking about the arbitration.

I was listening to the hon. Minister talking about the institutions being formed to create the arbitration panels. In the end, he mentioned that from 23rd October, 2015, onwards all the cases can be referred to the Arbiter under this law.

Sir, I have no hesitation in acknowledging that I have come here to discuss the plight of the farmers. But it seems we are going on a different track. The hon. Minister has mentioned the cut of date from which the arbitration proceedings will be subjected to this law. Today, the most important issue which is troubling the minds of this nation and I hope which is also disturbing the minds of the Members

of this House is concerning a deal which will definitely end up in an international arbitration court.

(1425/SNB/VB)

I do not know whether it was through a design or a matter of co-incidence that the Government has decided to institute an International Arbitration Seat, rather than going to London, Paris or Hart. Could it be चोर की दाढ़ी में तिनका because the Government is fearful that the Rafale Deal will end up in one of these arbitration panels? It is because this deal itself smacks of total arbitrariness having sacrificed not only the national interest but, I believe, this deal also has sacrificed national security at the altar of appeasing certain businessmen. I do not see any reason why this deal will not end up in an arbitration panel and I do not know whether Dassault Aeronautics has opted for any arbitrations to be taken up in Paris itself. I would like the hon. Minister to clarify, at the time of passing the Bill, whether the Rafale deal will be arbitrated in a court in India or it will go to Hart or Paris.

Sir, through you, hon. Chairperson, I would like to bring to the notice of the House that a deal of the magnitude of something like Rs. 63,000 crore was summarily dismissed by our hon. Prime

Minister on 10th of April, 2015. A deal about which even the then Foreign Secretary, Dr. S. Jayshankar was not aware and two days prior to the Prime Minister's visit said that everything was on track and that India would be signing that agreement. A deal for procuring 126 Rafale aircraft was summarily dismissed by the hon. Prime Minister and a decision was taken to buy 36 Rafale aircraft in fly-away conditions at the cost of 126 aircraft. 126 aircraft would have cost the same amount. This will end up in arbitration. … (*Interruptions*) Shri Anurag Singh Thakur, this will end in arbitration because how can the price of 36 aircraft be equal to 126 aircraft?

The biggest lacunae or the biggest sore point in this that rankles the mind of this nation is that the company did not exist 12 days before the visit of hon. Prime Minister. The hon. Prime Minister visited Paris on 10th of April, 2015. On 25th of March a dummy Defence Company was formed in Bombay Stock Exchange. On March 28, three days after *… (Not recorded)* registered his company, *… (Not recorded)* woke up … (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्री कलराज मिश्र): आप इस बिल पर ही बोलें।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: कोई भी नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)

SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR (GURDASPUR): I will withdraw the name of the businessmen … (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सर, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता तैयारी करके नहीं आए हैं। वे इस बिल पर बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं। …(व्यवधान)

SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR (GURDASPUR): This will be the biggest arbitration case after the Bhopal Gas Tragedy.

… (*Interruptions*) The biggest arbitration case after Bhopal Gas Tragedy in our country will be the Rafale deal because a company that did not exist 12 days before a deal was signed and instead on 28th March a businessman friend of our *… (Not recorded)* This is an Arbitration Bill.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): It is unfortunate that the hon. Member is not speaking on the Arbitration Bill … (*Interruptions*)

SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR (GURDASPUR): Sir, either the hon. Minister gets up and says that this issue will be looked into by JPC, otherwise this Bill will end up in an arbitration court … (*Interruptions*) It is because M/s Reliance Aeronautics did not exist 12 days before the deal was signed. This is the point.

(1430/SPS/RU)

Another issue which might come under the purview of the Bill is, how come the Foreign Secretary of our country did not know that a deal of this quantum is being signed but the company which got itself registered….… (*Interruptions*) This is a very serious allegation that I am making.… (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्री कलराज मिश्र) : आप आर्बिट्रेशन पर ही बोलें, तो ज्यादा अच्छा है। जो बात आपको रखनी थी, वह आपने रख दी है।

श्री सुनील कुमार जाखड़ (गुरदासपुर): सभापति जी, 12 दिन पहले एक कम्पनी बनाई जाती है। उस कम्पनी को कैसे पता लगा? देखिए The Official Secrecy Act was breached. Nobody, not even the Foreign Secretary, knew about this deal but a businessman sitting in Mumbai goes to the Registrar of Companies and gets a company registered to make these aircraft. Is it not a breach of the Official Secrecy Act? I think, the company and the people who have breached this..… (*Interruptions*)

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): I can only laugh at this.… (*Interruptions*)

SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR (GURDASPUR): There is nothing to laugh about it. This is a matter of national security. This is a चोर की दाढ़ी में तिनका।

माननीय सभापति (श्री कलराज मिश्र) : आपकी बात रिकॉर्ड पर आ गई है।

SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR (GURDASPUR): Sir, the Government has decided to bring home the arbitration so that the Government of the day is not exposed in a Court of Arbitration at Hague.

(ends)

1431 बजे

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति जी, आपने मुझे माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस विषय के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बिल वर्ष 2015 में माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया था। पुन: आज इसमें कुछ संशोधन के लिए सदन के सामने लाया गया है। जो बेसिक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था की पहचान कायम हो रही है, यह बिल उसमें और भी सरल तरीके से कार्य प्रणाली को स्थापित करने में सहायक साबित होगा। आज का दिन देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए गौरव का विषय है। यदि हम सेंसेक्स की बात करें तो 37000 के ऊपर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचालन किस स्तर पर इस देश में हो रहा है, उसको स्थापित करने के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरी दुनिया के कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था 7.5 फीसदी पर है। इस रिपोर्ट को हम आरोप-प्रत्यारोप के आधार पर पार्टी के स्तर से नहीं कह रहे हैं। विश्व के 43 देशों के उद्योगपतियों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के आधार पर वाशिंगटन पोस्ट ने प्रमुखता से अपने अखबार में छापा है कि ईज ऑफ डूईंग व्यवस्था के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था संचालित हो रही है। यह कहने में हमें कोई परहेज नहीं है कि आने वाले 20 वर्षों में भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में आर्थिक आधार पर पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। यदि निश्चित अर्थव्यवस्था की बात आती है, उसकी सुगमता की बात आती है, उसके संचालन की बात आती है। …(व्यवधान)

SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR (GURDASPUR): Sir, I am on a point of order.

माननीय सभापति (श्री कलराज मिश्र) : किस नियम के अंतर्गत? आप नियम बताइये। …(व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): बड़े उद्योगपतियों को आपने पाला-पोसा था। …(व्यवधान) सभापति महोदय, आज मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मैं तो विषय पर बोलना चाहता था, लेकिन हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, चार साल पहले उद्योगपतियों का पालन-पोषण करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। जो भी घोटाला उन उद्योगपतियों के माध्यम से इस देश में हुआ, उसमें पूरी जवाबदेही कांग्रेस की बनती है। मैं राजनीतिक विषय पर नहीं बोलना चाहता था, लेकिन माननीय सदस्य ने मुझे यह कहने के लिए मजबूर किया है कि आज जिन उद्योगपतियों को इसमें शामिल होने की बात की जा रही है, क्या एक दिन में हम उन सारे उद्योगपतियों को देश से बाहर कर दें? पिछले चार साल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार विश्व स्तर पर मजबूत हुआ है, क्या वह इन लोगों ने उन उद्योगपतियों के माध्यम से किया है?

सभापति महोदय, आज ई.सी.जी.सी. के माध्यम से हमारी सरकार डायलॉग एण्ड डिस्कशन का आधार बना रही है। हम उनसे बात भी करेंगे और डिसकशन करेंगे तथा मध्यस्थता को भी इसमें स्थापित करेंगे।

(1435/MM/NKL)

उस माध्यम के आधार पर आज पूरी दुनिया के प्रोद्योगिकी संस्थान भारत में अपना निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले 55 वर्षों तक जिस पार्टी की सरकार रही, आज जिस संस्थान और उद्योगपति की ये लोग बात करते हैं, उसको किसने मोनोपली स्थापित करने का मौका दिया था? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इस देश में और भी उद्योगपति रहे हैं, लेकिन यार्न पर उनको एकाधिकार का मौका दिया गया। ऐसे कई सेक्टर हैं, लेकिन मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने 67 उद्योगपतियों को चिह्नित किया है। इनकी सरकार के कार्यकाल के बहुत सारे उद्योगपति उसमें हैं, जिसकी वजह से आज मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ रही है। आज भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो? कैस देश की कम्पनियां मजबूत हों और भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी कम्पनियों का योगदान हो, जिससे रोजगार उत्पन्न हो सकें, जो हमारी सरकार का वायदा है। हमारी सरकार देश के युवाओं को केवल नौकर बनाने पर काम नहीं कर रही है, बल्कि उनको स्वामी बनाने के लिए हमारी सरकार ने सदन के पटल पर ऐसे बिल लाने का काम किया है। इससे रोजगार सृजन होगा और अर्थव्यवस्था को आधार मिलेगा। इसके माध्यम से 67 लोग चिह्नित किए गए हैं, जो कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के थे। उन्होंने इस देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का जमा किया हुआ पैसा उद्योग लगाने के नाम पर लिया था, लेकिन उस पैसे को इस देश से बाहर लेकर चले गए। क्या इनको उस समय इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? उन उद्योगपतियों को भागने का अवसर किसने दिया? उन उद्योगपतियों और

बिचौलियों के माध्यम से उद्योग लगाए गए। लेकिन उन उद्योगों मे अप्रत्यक्ष सहभागिता किसकी है, इसको पूरा देश जानता है।

आदरणीय सदस्य यहां चर्चा कर रहे थे। उनके सारे नेता या तो जेल में हैं या वैल में आकर शोर मचाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ऐसे विधेयकों के माध्यम से रोज नये कीर्तिमान स्थापित करके दुनिया का आर्थिक आधार पर नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह हमारी सरकार की देन है, जिस सरकार का कभी वादा हुआ करता था कि भारत ऐसे लोगों की अर्थव्यवस्था का देश है, जहां कौटिल्य का योगदान हुआ करता था। जिस कौटिल्य के अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को जर्मनी स्वीकार करके, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को अंगीकार करके, अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था पर कायम हुआ है। इस देश से अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ है। हमारे प्रधान मंत्री जी आज रात-दिन मेहनत करके और हमारे माननीय मंत्रिगण उनके नेतृत्व में रात-दिन मेहनत करके यह जो विधेयक लाए हैं। इसमें मध्यस्थता का छ: महीने का आधार बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे मामले पड़े थे जिसकी वजह से इनवेस्टर्स को परेशानी हो रही थी। हमारी सरकार ने इसको टाइमबाउण्ड किया है, चाहे वह मध्यस्थता के आधार पर हो या समझौते के आधार पर हो। इससे उनको प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए मजबूत व्यवस्था और न्याय देने का काम करेंगे। करीब 67 ऐसे लोग चिह्नित किए गए, जिनकी बात यहां की जा रही है, उनकी जमीनें बेचकर एनपीए का पैसा बैंकों में जमा करना पड़ा। यह हमारी सरकार का एक मजबूत काम है। सबका साथ, सबका विकास का नारा केवल भाषणों में ही नहीं, जमीन पर भी हमारी सरकार ने उतारने का पूरा प्रयास किया है। जिस अर्थव्यवस्था की बात होती है और जिन कौटिल्य का मैंने जिक्र किया,

उनके समय में हमारा देश सामूहिक व्यापार का केन्द्र था। लेकिन विगत 45 वर्ष तक जितनी सरकारें काम करती रही हैं, उन्होंने ईसीजीसी के नाम पर उत्तर प्रदेश में क्या किया? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और सभापति जी आप भी उत्तर प्रदेश के एक-एक ब्लॉक को अच्छी तरह से जानते हैं। कानपुर जो कि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पूरी दुनिया में पहचाना जाता था, वहां की सारी फैक्ट्रियों को बंद करने पर किन लोगों ने मजबूर किया, यह पूरा देश जानना चाहता है। इसीजीसी के माध्यम से इन लोगों की जो मध्यस्थता होती थी, उस मध्यस्थता का आधार बनाकर पैसा कहीं और जाता था।

(1440/SJN/KSP)

हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से, टाइम बाउंडेड करके मध्यस्थता का जो बिल आज लाने का काम किया है, जिसमें एक विधि विशेषज्ञ भी, ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर के विधि विशेषज्ञ बनकर अचानक उसमें मध्यस्थता करेगा, उसमें भी उसकी कम से कम चार साल की न्यूनतम प्रैक्टिस होनी अनिवार्य है। उसमें भी जितने लाभ और हानि के आधार पर जो भी कंपनियां हैं या जो भी प्रतिभागी उसमें बनेंगे, उस मध्यस्थता के आधार पर हम उनको यह भी अवसर देंगे कि एक बार पुनः हम आपका कंप्रोमाइज या समझौता करकार छः महीने के अंदर आपको या उस संस्थान को अपने पैरों पर फिर से एक बार खड़ा करने का अवसर दे रहे हैं। ये सारी दिक्कतें जो हमारे माननीय मंत्री जी ने यहां रखी हैं, इसमें आज यह सहायक सिद्ध होने जा रही है। हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास के आधार पर आज पूरे देश में दिन-प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उस नए कीर्तिमान में यह भी एक पारदर्शी तरीके

से कीर्तिमान के रूप में यह विधेयक जो आज सदन में लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं समर्थन करता हूं कि आज हमारी सरकार की अर्थव्यवस्था के आधार पर आज दुनिया के देशों को अपनी अर्थव्यवस्था में कैसे परिवर्तन करें, यह देखकर मजबूर होना पड़ रहा है। इससे बड़ा ऐसे बिलों का जो आधार बन रहा है, कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। राजनैतिक आरोप लगाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। राजनैतिक आरोप की भी जब बात की जाए तो जिस दिन पूरा या जो भी स्कैम हुए, अर्थव्यवस्था में जितना बड़ा स्कैम हुआ, वह किसकी सरकार में हुआ है, उसको पूरा देश जानता है। स्कैम के आधार पर जब पूरे देश की जनता पीड़ित थी, तो उसने यह सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, आज हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी हैं, जिनका शुरू से कहना था कि न खाउंगा और न खाने दूंगा। आज पीड़ा भी कुछ लोगों को हो रही है, जो खा नहीं पा रहे हैं। इसलिए आये दिन ऐसे मजबूत विधेयकों पर एक राजनैतिक आरोप भी लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि इस विधेयक के आधार हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो आज सबका साथ सबका विकास का नारा ही नहीं दिया है बल्कि उसको जमीनी हकीकत में भी नीचे उतारने का काम कर रहे हैं, अब तक उनके भी मन में भ्रम था, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि बहुत सी कंपनियां थीं, जिनको यह लग रहा था कि क्या वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर आगे उभरने वाली है। लेकिन जब उनको विश्वास हो गया कि आज वह अर्थव्यवस्था, अभी जो किसानों की बात हुई है, अभी जो पिछला सत्र हुआ है, जो अभी हमारे माननीय सदस्य ने किसानों की बात की, निश्चित ही क्योंकि मैं भी किसान परिवार से आता हूं और

बहुत से इस सदन के सम्मानित सदस्य जो किसान परिवार से आते हैं। पहली बार भारत के किसानों के लिए जो मजबूत स्तंभ बना, जिसमें सारे विभागों की पूरी योजनाओं को अगर एक साथ रखा जाए तो लगभग 88 प्रतिशत से लेकर 89 प्रतिशत तक केवल किसानों के लिए आंकड़ा स्थापित होता है। चाहे वह हेचरी हो, चाहे टिगरी हो, चाहे गुटरी हो, चाहे किसान संपदा हो, चाहे प्रधान मंत्री सिंचाई योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की स्थापना हो, एक साथ इतने कम समय में अगर देखा जाए तो उसमें भी औद्योगिक निवेश होगा। उसमें भी बहुत सी ऐसे किसानों से संबंधित मशीनी कंपनियां आकर के यहां पर अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए तैयार हैं। उनको जब हम मजबूत व्यवस्था देंगे कि अगर आपका कुछ नुकसान और फायदा होता है, तो आपको केवल न्यायालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हमारी सरकार ऐसा विधेयक ला रही है जिसमें हम मध्यस्थता के माध्यम से आपको पूरा-पूरा सपोर्ट भी करेंगे। इसलिए इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, मुझे आपने इस विधेयक पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

(इति)

1444 hours

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): Mr. Chairman, Sir, I express my gratitude to my beloved leader *Puratchi Thalaivi Amma* before I speak on the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018. This Bill seeks to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The Act contains provisions to deal with domestic and international arbitration and defines the law for conducting conciliation proceedings.

The Bill seeks to establish an independent body called the Arbitration Council of India (ACI) for the promotion of arbitration, mediation, conciliation and other alternative dispute redressal mechanisms. There are several thousands of dispute cases pending before various courts which need an alternative redressal through arbitration.

Framing policies for grading arbitral institutions and accrediting arbitrators, making policies for the establishment, operation and maintenance of uniform professional standards for all alternate dispute redressal matters and maintaining a depository of arbitral awards made in India and abroad are the main functions of the ACI.

(1445/RP/BKS)

The ACI will consist of a Chairperson who is either a Judge of the Supreme Court; or a Judge of a High Court; or Chief Justice of a High Court; or an eminent person with expert knowledge in conduct of arbitration. Other members will include an eminent arbitration practitioner, an academician with experience in arbitration and Government appointees. The State Governments should be consulted before appointing members to the ACI and it would have been a good idea to include prominent persons in the society like the Ex. MPs in the ACI.

Under the 1996 Act, parties were free to appoint arbitrators. Under the Bill, the Supreme Court and High Courts may now designate arbitral institutions, which parties can approach for the appointment of arbitrators.

For international commercial arbitration, appointments will be made by the institution designated by the Supreme Court. Care should be taken to avoid the role of any favouritism or bias while doing this.

For domestic arbitration, appointments will be made by the institution designated by the High Court concerned. This institution should maintain an impeccable record.

In case there are no arbitral institutions available, the Chief Justice of the High Court concerned may maintain a panel of arbitrators to perform the functions of the arbitral institutions. An application for appointment of an arbitrator is required to be disposed of within 30 days. This is a welcome provision and will avoid any deliberate delay in the appointment of arbitrator.

Under the 1996 Act, arbitral tribunals are required to make their award within a period of 12 months for all arbitration proceedings. The Bill proposed to remove this time restriction for international commercial arbitrations. But it is desirable that the international commercial arbitrations should be completed in shortest time limits.

Currently, there is no time limit to file written submissions before an arbitral tribunal. The Bill requires that the written claim should be completed within six months of the appointment of the arbitrators. This is a welcome provision.

The Bill also provides that all details of arbitration proceedings will be kept confidential except for the details of the arbitral award in

certain circumstances. Disclosure of the arbitral award will only be made where it is necessary for implementing or enforcing the award. The Bill clarifies that the 2015 Act shall only apply to arbitral proceedings which started on or after October 23, 2015.

Everyday, there are countless agreements entered into online for sale of goods and services. When problems arise out of this e-commerce transaction, parties can be located all over the country making it difficult to resolve the dispute in one physical location. The Government must enable simple provisions that the parties need to resolve the disputes in a way that is as easy and quick as the original online purchase. This is very important.

I belong to Ramanathapuram. Suppose, I purchase an item in Ramanathapuram and the seller is in New Delhi. If there is any dispute, how can I resolve it? It is very difficult. So, this should be simplified. Such type of provision should be included in this Bill.

Therefore, I request the Government to make provisions for a simple, fast and affordable online dispute resolution.

Thank you, Sir.

(ends)

(1450/GG/RCP)

1450 hours

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): *Namaskar*, Sir. I am very happy to speak on the the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018 which is being taken up at this late hour. But, I may mention that I have never seen such an air of uncertainty in the functioning of the Lok Sabha. In the morning, we were told that the National Song would be played around 12 o'clock or 12.15 p.m. Then, when I came here, they said that there would be as many Zero Hour matters as possible, and then there would be a lunch break for one hour. Then, up to 3.30 p.m, we would have a debate on the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill. By that time, news would have come from Rajya Sabha whether the Triple Talaq Bill has been passed or not.

माननीय सभापति (कालराज मिश्र): सौगत राय जी, समय की सीमा है, बिल पर बोलें तो अच्छा रहेगा।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री भी थे, आप मेरी बात सुनिए, मैं बिल पर ही आ रहा हूँ। अभी मुझे पता चला कि राज्य सभा में वह बिल पास नहीं

हुआ तो एक्सटेंशन की जो बात चल रही थी, वह बंद हो गई। सरकार को अगर कुछ पास कराना है तो जल्दी क्यों नहीं करते हैं? मेरा सरकार से यही कहना है। इतने सदस्यों को आप सस्पेंस पर रख देते हैं। लोक सभा पब्लिक का रिप्रेजेंटशन है। यह सब कुछ सस्पेंस में नहीं रहना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: सौगत राय जी, आप बिल पर बोलें और समय-सीमा का ध्यान रखें।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, समय की सीमा का पूरा ध्यान रखेंगे। सुनील जाखड़ साहब ने यहां जो कुछ बोला है, बलराम जाखड़ जी, उनके पिता जी, यहां स्पीकर थे। सुनील जाखड़ जी ने एक पॉइंट बोला कि राफेल के बारे में चर्चा हो रही है कि भारत सरकार को लॉस हुआ है। एक प्राइवेट कंपनी ने बहुत नफा किया है। मैं कहता हूँ कि रूलिंग पार्टी की इतनी मैजोरिटी है, तो क्यों नहीं वे सीना ठोक कर बोलें कि हम किसी भी इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, चाहे जेपीसी भी क्यों न हो। उन लोगों ने यह मामला उठाया है, हम लोगों ने तो नहीं उठाया है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : सौगत राय जी, यह विषय अलग से तय करने का है। लेकिन आप अपना विषय रखें, वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैं विषय पर आ रहा हूँ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : सौगत राय जी, आप बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं।

…(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सभापति महोदय, सौगत राय साहब बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, हम सब सभी इनका सम्मान करते हैं। बहस आर्बिट्रेशन पर हो रही है तो उनको उस पर बात करनी चाहिए। पता नहीं क्या-क्या बात कही जा रही है। …(व्यवधान) राफेल वगैराह क्या-क्या बोल रहे हैं। …(व्यवधान) इसका आर्बिट्रेशन से क्या मतलब है? …(व्यवधान)

माननीय सभापति : सौगत राय जी, आप विषय पर बोलें, उसके अतिरिक्त बोलने पर रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैं आपकी अनुमति से इस विषय पर बोल रहा हूँ। यह आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सिलेशन एक्ट, पहले भी हुआ था, पहले सन् 1996 में एक बार हुआ, फिर यह सरकार सन् 2015 में, they brought the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act to make arbitration process cost effective and speedy with minimum court intervention and to maintain the credibility of arbitrators.

Why do people go for arbitration? You know, if a contractor does work for the Government, he has a big bill. The Government does not accept it. If it goes to court, it will take 15 years. So, they settle for arbitration in the hope that it will be settled within three-four

years. So, arbitration is to short-circuit it. The dispute resolution in case of commercial transaction or contract negotiation is very common in the case of civil contracts. You will know that in civil contracts, a lot of arbitration is there with the Railways, with the NBCC. So, arbitration is very essential. Shri Ravi Shankar Prasad, our Minister, wants to make India a robust centre for international arbitration, both domestic and international. Therefore, he appointed a Committee under the Chairmanship of Justice Srikrishna. He had earlier investigated Mumbai riots.

(1455/SMN/CS)

He is a lucky judge who always gets this Commission. The ten Member Committee included Justice RV Ravindran, Retd. Supreme Court Judge, Shri KK Venugopal, Attorney General, Shri Arghya Sengupta, Research Director of Vidhi Research Institute. The ten Member Committee then made their recommendations. Some of the recommendations have been accepted by the Government and they have been incorporated in this Bill. The main recommendations was this. The Government is setting up regularly new bodies and is appointing some of their own people. We had earlier Insolvency and Bankruptcy Board of India. Similarly, an

Arbitration Council of India is being set up for the purpose of grading of arbitral institutions and accreditation of arbitrators. आर्बिट्रेटर्स को कन्ट्रोल करने के लिए एक नई बॉडी बन रही है, जैसे सरकार ने बहुत सारी बॉडी, रेग्युलेटर्स बनाए हैं, यह एक नया रेग्युलेटर इन लोगों ने एपॉइंट किया है। इस रेग्युलेटर से सिचुएशन इम्प्रूव होगी या नहीं, यह मुझे पता नहीं है। This Bill also tries to shorten the period of arbitration. The Bill proposes to change that to one year after the pleadings are closed. Also, that would apply only to domestic and not to international arbitration reversing a 2000 amendment that sought to fast track arbitration. Other changes include providing immunity to an arbitrator except in acts of bad faith, incorporating model rules of procedure and ensuring confidentiality of proceedings. So, this ambition of the Law Minister to make India an arbitration hub is not unfounded and it is being done with good intentions. It is because these days people are having businesses all over the world. A company like Mcdermott may dig for a well here. A company like Schlumberger from America may dig for coal bed methane.

माननीय सभापति (श्री कलराज मिश्र) : अब आप समाप्त कीजिए।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, मैं अभी समाप्त करता हूँ। अंत में, मैं सबसे जरूरी बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी इसका जवाब देंगे। Arbitration has become

the biggest scam today. Lawyer arbitrators are becoming more corrupt. The problem is that the arbitrators are not public servants. They are all retired judges. So, they are not covered by the rules governing a public servant. Very often, they are teaming up with a contending party. I want the Law Minister to hear me. Mr. Minister, I seek your indulgence that please put a cap on how many arbitrations one arbitrator can do because they are taking five to ten arbitrations and they are not giving time.

माननीय सभापति : सौगत राय जी, ठीक है। आपकी बात हो गई है। अब आप समाप्त कीजिए।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : आर्बिट्रेशन में एक-दो साल में इसे सुलझाना चाहिए, लेकिन इसमें पाँच साल लग रहे हैं। मेरी बात हो गई है। Mr. Chaudhary, said that there are 30 million cases are pending in India. How many arbitration cases are pending and for how long? I want exact number. I want that there should be rules for arbitrators.

With this, I end my speech.

(ends)

1459 hours

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Thank you Sir for giving me an opportunity. महोदय, मैं जो भी बात कहना चाहता था, वे सारी बातें प्रो. सौगत राय साहब ने बोल दी हैं। I fully endorse what all he spoke. I do not know whether I am allowed to take the names of the companies here as per the procedure of the Parliament.

सभापति महोदय : आप नाम न लें तो ज्यादा अच्छा है।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): When we speak of arbitration, we automatically understand that it refers to disputes and related litigations. This is what we understand by arbitration. In order to minimise the litigation or to mitigate the litigation, we will go for arbitration. This is what we understand.

(1500/MMN/MY)

Arbitration is a word which is usually written as a part of the MoU. It will be written in anybody's MoU. So far in India there is a legal status for arbitration as per the Act. We are going to give more teeth to it so that it becomes more independent in status. This is what the intention of the Government is. I do not know whether the name has to be taken or not. For example, the Swiper Company is there. It has been awarded a contract by the ONGC for undertaking drilling

operations. Both the ONGC and the Swiper Company have agreed to have an arbitration, in case of any dispute between these two. They have gone to the arbitrator. The arbitrator has given arbitration order but against that arbitration order, the ONGC being a Government organisation, has gone in appeal to the High Court. Therefore, the arbitration order is being ignored by the Government itself. It is not the private party which is going for arbitration and then afterwards to the courts. It is the Government which is going to the court.

So, I would like to ask this question to the hon. Minister. What is the inbuilt mechanism in order to prevent the parties from going beyond arbitration? It is because, you are going to give independent legal status for the arbitration. You should give independent legal status for the arbitration. Then only, we will not be enthused to go beyond the arbitration. Otherwise, this arbitration will continue to go on. Lakhs and crores of rupees are locked up. I would also like to know this from the hon. Minister, through you, Sir. What is the money locked up in post-arbitration awards? So many arbitration awards were given by the arbitrators.

There is another system, 'independent external monitoring system' to resolve the disputes. After this also, in India most of the times, the major litigant, the major appellant is the Government only. Therefore, I earnestly appeal to the Government to honour the arbitration awards, though I welcome this Bill in order to strengthen the Arbitration Act. Our over-enthusiastic hon. Minister is trying to make India both a domestic and an international arbitration centre. This is really an over-enthusiastic attempt. I do not know as to how many foreign institutions will believe in this type of arbitration institutions because our experience in India, as far as arbitration is concerned, is very bitter, to say the least.

So many companies have gone to arbitration and so many companies are disappointed. So many companies have gone back also. We have to give a serious thinking to arbitration awards because this is the one which affects the morale of foreign companies. Whenever they come to India, they will see as to which laws have been made to resolve the disputes, especially, arbitration laws. When the arbitration law is weak, the doing of business, ease of doing business will also get affected, especially, the oil and gas companies get affected. We import 80 per cent of the gas

requirement of the country or the crude requirement of the country, and 20 per cent is produced.

But in case of 20 per cent production also, our Prime Minister Saheb said in 2014 that we have to substitute the import every year by five per cent. That means, we have to increase the production and exploration. But because of this arbitration, because of the legal litigations engulfing the upstream companies like ONGC, Oil India Limited and other companies, we are caught in the legal wrangles and we are not able to resolve those disputes. I do not know what the hon. Minister is going to suggest to give teeth so that nobody should prefer appealing, after arbitration. The arbitration should be binding on those parties. The financial implications of arbitration should also be thought of.

On behalf of the Telugu Desam Party, we welcome this Bill. Thank you, Sir.

(ends)

1504 hours

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I welcome the Bill with the heart and soul together.

But considering the number of cases pending in the courts for arbitration, number of cases pending in the High Courts and in the Supreme Court, as rightly Dr. Ravindra Babu has given some examples because we are in the same Committee and we are observing it, what I feel, particularly about the 2-3 clauses where the arbitrator is to be appointed within 30 days, is that they are good clauses. It is because that also takes a lot of time. But after arbitration, the decision has to be given within six months. The decision will be given about the arbitration within six months and if that decision is not implemented-- it is written like this-- "to provide that the arbitrator, the arbitral institutions and the parties shall maintain confidentiality of information relating to arbitral proceedings and also protect the arbitrator or arbitrators from any suit or other legal proceedings for any action or omission done in good faith in the course of arbitration proceedings."

(1505/VR/CP)

Sir, this is the only clause which I feel will hamper it because there is no provision in the law if an arbitrator commits a mistake. Corrupt practices can get anything done in the world. Suppose, an arbitrator himself becomes hostile and gets tilted towards one side, in that case justice will not be delivered and they will again go to the higher courts. Therefore, I request the hon. Minister to look into the clause, which is at page no.10, where he earlier mentioned:

> "to amend section 23 of the Act relating to "Statement of claim and defence so as to provide that the statement of claim and defence shall be completed within a period of six months from the date the arbitrator receives the notice of appointment."

It is a good thing and we welcome it. But the very next clause of the Act says:

> "…and also protect the arbitrator or arbitrators from any suit or other legal proceedings for any action or omission done in good faith in the course of arbitration proceedings."

The question is, how to decide the term 'good faith'. I may feel that he is not delivering justice to me and I have no faith in

him. I would like the hon. Minister to enlighten me on this aspect. He is the most versatile personality in judiciary. I also know that he is an expert lawyer.

Sir, this is really a good Bill, which we believe will deliver results. The number of cases will also reduce as the time period has been prescribed in the law.

With these words, I welcome the Bill. Thank you.

(ends)

1507 hours

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Thank you, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018.

Sir, we are amending the main Act, that is, the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The intention of the Government for bringing in this Bill is very much mentioned in the Statement of Objects and Reasons. I have gone through the Statement.

1507 (Hon. Speaker *in the Chair)*

As mentioned in the Statement of Objects and Reasons, the Government had earlier constituted a High-Level Committee under the chairmanship of Shri B. N. Srikrishna, the former Judge of the Supreme Court along with some other members. They have submitted a detailed report and suggested for amending the main Act, that is, the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

In this Bill, they have brought in an institution, that is, the Arbitration Council of India. The aim of this Council is also mentioned in this Bill. I think the intention of constituting such a Council is very much required and is the need of the hour.

Madam, India is a developing country and a growing economy. We have to learn lessons only through experience. So, the main Act might have faced some problems, which have been studied by this Committee. I welcome all the necessary amendments through this Bill for resolving a number of disputes which are pending in this country.

Madam, it has been found in many reports that the grievance of many national as well as international companies is about the dispute resolution system in our country. They feel that our civil courts, High Courts and even the arbitration councils take a lot of time in resolving issues. So, let us hope that by amending the main Act the disputes will be resolved at the earliest and, in the event, we face some other problems, we can once again come to the Parliament. I welcome the hon. Minister for moving this Bill.

Thank you.

(ends)

(1510/NK/SAN)
1510 hours

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Madam, first of all, I welcome the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018 because the Minister has already promised, and that is the stated objective, to strengthen and institutionalise the matter. Always as a parliamentarian, we ask for institution building. Instead of going into it on case to case basis, it is better that Arbitration Council will be there and arbitrators will also be appointed.

Since a high-level committee headed by Justice Srikrishna was there, I do not cast any aspersion and it should not be. Based on the Terms of Reference, the recommendations came. हमें शिकायत अपनों से है। First, this is technical in nature and hardly, we are involved in this matter on day-to-day basis. That is why, the Standing Committee was conceived. Now, it is introduced and being passed. We are building an institution. That is why, an amendment came in 2015 and now in 2018, we are amending the Act. It should have been referred to the Standing Committee. The Heaven would not have fallen. मैं भी चार बातें कर सकता हूं, आपने स्टेट ऑब्जेक्ट किया कि डीले नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, I buy your argument. It is correct that India can

become a hub for international arbitration. यह जेनिटिकली हमारी सभ्यता में है। चाहे दर्शन हो या धर्म हो, पूर्व मीमांसा और उत्तरी मीमांसा, हम बहस करते हैं, आर्गयुमेंटिव इंडियन, लॉजिक हमारे अंदर में है। हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, इंस्टीट्यूशन बनाना है। मैं इससे सहमत हूं और बिल्कुल समर्थन करता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आठ- शेड्यूल में कौन-कौन काउन्सिल हो सकते हैं, चार्टेड अकाउन्टेंट, एडवोकेट, यहां तक कि मैनेजर लैवल के ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, आपको कॉस्ट अकाउन्टेंट को भी इन्वोल्व करना चाहिए था। ज्यादातर आर्बिट्रेशन पोस्ट फैक्टो होता है, जब कॉमर्शियल डील होते हैं या कंस्ट्रक्शन में होते हैं, कंट्रैक्चुअल होता है तो कॉस्ट अकाउन्ट डालना होता है कि कितना क्लेम हो रहा है लेकिन वह ओमिट हो गया है। Section 43(G) mentions the general norms applicable to arbitrator. In sub-section (ii), you are saying that the Arbitrator must be impartial and neutral and avoid entering into any financial business. Why should there by 'avoid'? There should be 'should not', if 'must not' is not there. चूंकि जो आर्बिट्रेशन में बैठा है, इंसाफ का तकाजा होता है कि उससे हम किसी ट्रांजेक्शन में नहीं जाएंगे। The arbitrator should not involve in any legal proceedings. जब फाइनेन्शियल ट्रांजेक्शन ऐसे कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन में होगा, he should not involve in financial business. इसे स्ट्रैन्देन करना चाहिए। आपने क्लॉज-तीन में दिया है कि हम फंक्शनिंग को टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे। आपको तीन साल में टाइमफ्रेम देना चाहिए। जब काउन्सिल का टर्मेनोलोजी तीन साल का है तो रिव्यू के लिए स्पेसिफिक टाइम दो साल, या तीन साल या छह महीने देना चाहिए।

टाइमफ्रेम होने से कुछ नहीं होता है, उसको बंदिश में लाना चाहिए, उसको रूल में लाएंगे कि आपको इतने दिनों के अंदर रिव्यू करना पड़ेगा। आप आर्बिट्रेशन अप्वाइंट कर रहे हैं। फंक्शनिंग को बार रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है।

मैडम, मैं इसी बिल पर बोल रहा हूं। एडजुडिकेशन, Justice is a very complex concept. उसके लिए कोर्ट में वर्षों से मामला लंबित होता है। आप उसमें आर्बिट्रेशन निकाल रहे हैं, ताकि ये कोर्ट में फंसे न रहें, तुरंत हो, जल्दी हो, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हब तभी बन सकता है, जब उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, फीस के बारे में रूल्स में बंदिश लाना पड़ेगा। लीगल सिस्टम में इतना ज्यादा खर्च होता है कि लोग जा ही नहीं सकते, इसलिए बड़ी कंपनी और मल्टी नेशनल कंपनी, जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके लिए लेबल प्लेइंग नहीं होगा, इसलिए आपको शुरू से ही फीस को पूरी दुनिया के मुताबिक कम रखना पड़ेगा क्योंकि पैसा और टाइम दोनों सेन्सिटिव मामला होता है।

महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि ऐसे बिल जो टेक्नीकल नेचर के होते हैं और जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दूर तक जाता है, उसे स्टैन्डिंग कमेटी के जरिए करने से बेहतर होता।

(इति)

(1515/SK/RBN)

1515 बजे

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2018 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। सरकार बनने के बाद वर्ष 2015 में जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा समिति की स्थापना की गई और उन्होंने वर्ष 2017 में रिपोर्ट दी। सरकार उनके सुझावों को स्वीकार करते हुए इस बिल को लाई है।

माननीय अध्यक्ष जी, पहले घर में आर्बिट्रेटर हुआ करता था, परिवार में एक आर्बिट्रेटर हुआ करता था, समाज में हुआ करता था, गांव में हुआ करता था। आजादी के 70 साल बाद पैसे का प्रभाव बढ़ता गया और मानवता घटती गई और सब झमेले खड़े हो गए। अब न्याय मांगने के लिए कोई न्यायालय में नहीं जाता है बल्कि अन्याय करने के लिए जाता है। इस तरह के एक नहीं अनेक किस्से हमें सुनने को मिलते हैं। सही व्यक्ति को पता होता है कि अगर मैं न्याय के लिए कोर्ट में जाऊंगा तो 15-20 सालों तक केस को रगड़ा जाएगा इसलिए अन्याय करने वालों की कोर्ट में संख्या बढ़ गई है।

मैं लॉ मिनिस्टर से निवेदन करता हूं कि अगर वह सिर्फ खड़े होकर देशवासियों से अपील करेंगे तो बहुत सारे लोग सैटलमेंट के लिए आगे आएंगे। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं मुम्बई में जस्टिस काथावाला जी ने सुबह काम शुरु किया, रात को तीन बजे तक बैठे और 130 से ज्यादा केसों का निपटारा किया। मैं लॉ

मिनिस्टर से निवेदन करता हूं कि जस्टिस काथावाला जैसे जजों को पूरे देश में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उनका सम्मान माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से होना चाहिए ताकि अन्य जजेज़ भी इस प्रकार से काम करना प्रारंभ करें। जस्टिस काथावाला जी ने दोनों पार्टियों को बुलाया, उनकी बात सुनी और उनसे कहा कि आप सुलह कर लो, नहीं तो मैं जजमेंट दे दूंगा। इसमें ज्यादातर लोगों ने सुलह कर ली और जज को किसी प्रकार की जजमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब लोग कोर्ट में जाते हैं तो दोनों पक्षों को पता होता है कि मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं, लेकिन देश में टाइम पास करने और सामने वाले को हैरान, परेशान करने की मानसिकता डेवलप हुई है। हमें अपने देश को इस मानसिकता से बाहर निकालना होगा। इन दिनों तो कॉरपोरेट सैक्टर के लोग सरकार को परेशान करने लग गए हैं। बड़े कांट्रेक्ट में अगर एक को कांट्रेक्ट नहीं मिला तो वह कोर्ट में चला जाता है और सरकार का काम रोकने का प्रयास करता है।

मैं मानता हूं कि आर्बिट्रेटर बिल बहुत ही अच्छा है, इसमें आर्बिट्रेटर की नियुक्ति का टाइम बाउंड पीरियड है। आर्बिट्रेटर ने कितने दिनों या महीनों में निपटारा करना है, इसकी भी व्यवस्था है। अन्य वक्ताओं ने कहा कि आर्बिट्रेटर का स्टाइल और सिस्टम तो सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ज्यादा है, इस कारण लोग रोते हैं कि कहां झंझट में फंस गए, हम तो कोर्ट में न्याय मांगने गए थे और आर्बिट्रेटर के पास भेज दिया, ये तो बहुत परेशान करते हैं, कैसे-कैसे सवाल पूछते हैं। इस तरह से लोगों के मन में बहुत सी परेशानियां होती हैं।

मैं लॉ मिनिस्टर का एक बार फिर अभिनंदन करता हूं कि इसमें टाइम बाउंड पीरियड दिया है। इसके साथ ही उनके ऊपर शर्त और नियम भी लगाए हैं। कोर्ट में मामले 15-20 साल से लंबित हैं, मैं मानता हूं कि इस बिल के आने से इनका निपटारा होगा।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभी सीनियर मैम्बर आफ पार्लियामेंट ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत एक हब आफ आर्बिट्रेटर बनेगा। मैं मानता हूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बनता जा रहा है, हर चीज का हब इंडिया में होगा, अपने ही देश में होगा। अपने देश की यही पहचान होगी कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत देश सामान्य लोगों, मध्यम परिवार के बारे में कितना सोचता है। मैं मानता हूं कि इस बिल के माध्यम से बहुत बड़ी क्रांति आएगी। सरकार इसे तुरंत इम्पलीमेंट करने की व्यवस्था करे, मैं यही मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1518 hours

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Madam Speaker, thank you for the opportunity. I welcome the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018. I believe that unless we have a quick and efficient Alternative Dispute Resolution mechanism in this country, it will not attract investment and the kind of vibrant business atmosphere that we need in this country.

My only concern is that, just like judges are accountable when they sit in a court of law, the judges in the Council should also be accountable. Once the Council is formed, there will definitely be some rules and regulations. In that, there must be strict measures for accountability of the retired judges or whoever sits as the arbitrator. Apart from that, I would request the hon. Minister to take care that arbitration should not be relegated to a process which is the privilege of the rich and the big business houses. So, the cost of arbitration is a big concern in this country. The idea of arbitration is to reduce the burden that is there within the judicial system. If we can find a way to make it more cost effective, I feel it will help the larger sections of people.

Last but not the least, I would request hon. Minister that whenever someone asks for an adjournment under the CPC, the other party asking for the adjournment must pay for the cost of the other side.

(1520/SM/MK)

This must be encouraged in an arbitration proceeding. If there can be some rule to that effect, I welcome it. It must be inserted in the 1996 Act, if it is amended.

(ends)

माननीय अध्यक्ष: वैरी गुड, शाबाश। अगर मैंने कमेंट कर दिया, तो इसमें क्या हर्ज है? अच्छी बात के लिए मैंने हमेशा अच्छा कहा है। मूड का सवाल नहीं है।

1521 बजे

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर संक्षेप में बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है और सभी ने इसका समर्थन किया है। मैं एक बात इस पूरे बिल का सार बताना चाहता हूं। आपने सही कहा कि हम चाहते हैं कि India should become a hub of domestic and international arbitration. आज इंडिया में सबसे अधिक इंवेस्टमेंट हो रहा है। इंडिया वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर हो रहा है। हमारे यहां अच्छे जजेज़ हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे ज्यूरिस्ट हैं, अच्छे लॉयर्स हैं, तो यह क्यों नहीं होना चाहिए?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आजकल मैं एक और लड़ाई लड़ रहा हूं । एक नए प्रकार का इम्पीरियलिज्म आ रहा है कि only the British Queen's Counsel are the best barristers and arbitrators. I have no disrespect for them. They are monopolising arbitration in London, Singapore etc. They may be the good arbitrators but they are not the best. Let me make it very clear in this House that this Government will not allow a new imperialism to come in the arbitration proceeding globally which brings in only particular type of arbitrators to the arbitration. हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अच्छे आर्बिट्रेशन आएं, अच्छे लोग आएं।

माननीय अध्यक्ष जी, श्री कृष्णा की कमेटी हमने क्यों बनाई? आज मैं जिस श्रीकृष्णा और जिस रविन्द्रन का अभिनंदन करना चाहता हूं, दोनों ही वर्ल्ड के टॉप आर्बिट्रेटर्स हैं। हमने कहा कि दुनिया में आपने अपनी ईमानदारी से एक जगह बनाई है,

तो हिन्दुस्तान को कैसे आगे बढ़ाना है? आप हमें बताइए। वहां पर उन्होंने बताया कि इंस्टिट्यूशनल आर्बिट्रेशन को इंडिया में मजबूत करना चाहिए और हमें एक ऐसी बॉडी रखनी चाहिए, जो उसको ग्रेड भी कर सके। सौगत बाबू अगर आप इस कानून को देखेंगे तो इसमें there is a provision for Arbitration Council of India. It will be headed by retired Chief Justice of India or a Supreme Court Judge. It will have leading arbitrators and also the commercial bodies as its members. They will grade the institutional arbitration.

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं इस बिल को बना रहा था तो मैंने विभाग से कहा कि मालूम करो कि देश में कितने आर्बिट्रेटर्स इंस्टिट्यूशन्स हैं? इनकी संख्या सिर्फ 36 है। मालूम हुआ कि कई प्रदशों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, नार्थ ईस्ट में अभी भी इंस्टिट्यूशनल आर्बिट्रेशन का प्रोमोशन नहीं हुआ है। मुम्बई में है, तमिलनाडु में है, बैंगलुरू में है, गुजरात मैं है। हमने कहा कि we will have a blend of both. इंस्टिट्यूशनल आर्बिट्रेशन आए और जब तक वह नहीं आता है, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक पैनल रखें ताकि वह अपॉइंट कर सकें। आप लोगों ने जो अपना कन्सर्न रखा है, मैं सबको एड्रेस करना चाहता हूं, if you see the Section, you will find that this particular body, the Arbitration Council of India, shall have proper rules. How shall the concerned institution be graded; what type of norms do they need to follow to make their institutions more confidence inspiring for the sake of clients?

There will equally be monitoring on the quality and performance of the arbitrators. They must rise to the occasion. They must perform well and the most important thing is the training of arbitrators in India that should also be encouraged so that we have a good quality of arbitrators.

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं हमेशा इस पक्ष का रहा हूं कि देश के बहुत बड़े-बड़े पब्लिक मैन रिटायर होते हैं। क्या हमें आर्बिट्रेशन के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए? उनका एक प्रमाणिक होता है। मैं तो इस पक्ष का हूं कि अगर कोई गंभीर सांसद हो और उसका अनुभव पन्द्रह-बीस साल का हो, अभी वह सांसद नहीं हो, यदि वह एमिनेंट हो, उसकी सेवाओं का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? …(व्यवधान) इसको हम लोग थोड़ा गंभीरता से लें तो बड़ी कृपा होगी।

तीसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के कई रिटायर्ड फाइनेंस सेक्रेटरी, बैंकिंग सेक्रेटरी, अब मैं आई.टी. का भी मिनिस्टर हूं, आई.टी. के प्रोफेशनल्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आई.टी. के डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में लाएं।

(1525/AK/RPS)

हमारी कोशिश है कि ऐसे अच्छे लोग आर्बिट्रेटर्स बनें, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में काम करें, इसीलिए हमने यह नॉर्म दिया है कि छ: महीने के अंदर इसको करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा।

You have rightly raised the issue of accountability of Arbitrator. You are very right about the norms and the regulations that we are going to form. Even otherwise, in the Schedule, one must have seen that enough indications have been given that they have to measure up to standards and that they must perform. But what is important is that the further regulations to be framed by the Arbitration Council of India will ensure that the norms and accountability of the Arbitrator must be strictly followed.

माननीय अध्यक्ष जी, इसे आप अकेले न देखें, अभी आपके निर्देश पर दो-तीन दिन पहले मैंने कॉमर्शियल कोर्ट्स बिल इस सदन में मूव किया था और सदन ने पास किया था, जिसमें हम तीन लाख रुपये तक के डिस्प्यूट को भी फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। आज हम आर्बिट्रेशन बिल लाए हैं, इसके अलावा एक अन्य कानून आ रहा है, जिसमें हम न्यू डेल्ही सेंटर ऑफ आर्बिट्रेशन लाने वाले हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कैसे-कैसे चीजें चली हैं, मैं बहुत गंभीरता से बताऊंगा, सरकार ने करोड़ों रुपये की जमीन दी और 26 साल में 21 आर्बिट्रेशन्स वहां हुए। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है। करोड़ों रुपये की जमीन, करोड़ों रुपये का सहयोग और 26 साल में 21 केसेज हुए, बाकी कमेटी बनी हुई है। उसका ही प्रोफेशनलाइज करने के लिए हम यह बिल ला रहे हैं।

The reason as to why we are doing all this is that we want India to become an important hub of domestic and international arbitration,

and for that to happen, it is very important that we have a robust mechanism in place, which grades the arbitration; grades the institutions doing arbitration; regulates their performance; and ensures training for them.

माननीय अध्यक्ष जी, कानून के विषय को आप भी जानती हैं। मैं जब भी कानून मंत्री के रूप में देखता हूं, भारत में बहुत अच्छे जजेज हैं, हमें उन पर बहुत गर्व होना चाहिए। भारत में बहुत अच्छे वकील हैं, जो बहुत मेहनत से काम करते हैं। भारत में डिस्प्यूट के रिज्योल्यूशन की क्षमता रखने वाला एक नया वर्ग भी डेवलप हो रहा है। हमारी बहुत अपेक्षा है कि आर्बिट्रेशन के लिए हम आर्बिट्रेशन बार को भी प्रमोट करें। यह हमारी अपेक्षा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बिल के बारे में जो बातें कही गई हैं, हम उन सुझावों का ध्यान रखेंगे और जब यह विषय आगे बढ़ेगा, तब उसकी चिन्ता करेंगे।

सौगत बाबू, आपने बताया है कि कितने केसेज पेंडिंग हैं? I will give it separately to you, but what is important is that I would request you to kindly understand that we are taking a giant leap in favour of an institutional arrangement to promote India as a hub of arbitration. I know your background as you and your family have a strong stake in this whole process of arbitration. Therefore, unless we have a very strong element of institution; of people; of Judges; and of regulatory

mechanism, the arbitration engine will not take great speed. But what is more important is that the institutional arbitration becomes the order of the day.

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात की चिन्ता व्यक्त की गई है, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं। दो-दो न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं, तारीख पर तारीख पड़ रही है, बड़े-बड़े वकील आ रहे हैं। मैं आपकी चिन्ता समझता हूं, इसीलिए इस कानून में हमने इस बात की विशेष चिन्ता की है कि सब कुछ कानून और रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। इसकी टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए और अगर कोई आर्बिट्रेटर उस टाइम लिमिट से भागने की कोशिश करता है, then there will be accountability on that Arbitrator also.

माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक बात कही कि क्यों लोग समय ले लेते हैं, यह एक ऐसा गम्भीर सवाल है, जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। कई बार वकील साहब लोग पहले ही बात कर लेते हैं, मैं भी उसी पेशे से आता हूं, कि समय ले लिया जाए। इस बिल में हमने अनावश्यक एडजर्नमेंट पर बंधन लगाया है। One cannot take unnecessary adjournment because the whole timeframe has been fixed. If an Institutional Arbitration Centre becomes notorious for only long adjournment and delayed disposal of cases, then people will not go to that institution. Therefore, the whole grading of arbitration institution will also take into account as to how much time is being

spent in disposal of cases there. Therefore, it is a very robust mechanism.

Hon. Speaker, Madam, I would like to request this hon. House that this is a very momentous legislation and a very important legislation. … (*Interruptions*) What is important is that it is a very momentous legislation. … (*Interruptions*)

SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR (GURDASPUR): Madam, nobody knows how long. … (*Interruptions*) Madam, I do not think that even you are aware about this. … (*Interruptions*)

(1530/ASA/SPR)

श्री रवि शंकर प्रसाद : जाखड़ साहब, मैं आपसे आज बहुत विनम्रता से एक बात कहूंगा। आपको व्यंग्य करने का अधिकार है। लेकिन यह एक ऐतिहासिक लेजिसलेशन है।

Madam, we always pass legislations but certain legislations are momentous legislations. This is one of the legislations – it is a defining moment – which will make India a big hub of domestic and international arbitration.

I would commend that the entire House passes this Bill unanimously. I think no one raised any specific objection. I heard all of them. Before I came, even my distinguished MoS gave me inputs. By and large, everyone has supported.

सौगत बाबू, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुनता हूं। आपका अनुभव, बौद्धिकता, व्यापकता और संसदीय परम्पराओं के बारे में सब जानते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और यह बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि आपके अनुभव का लाभ लेते हुए किसी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में सौगत बाबू भी कभी आर्बिट्रेटर बनेंगे। यह हम देश में बदलाव करना चाहते हैं। …(व्यवधान) देखिए, सौगत बाबू, यह मैंने बहुत गंभीरता से बोला है। जब आप अपना संसदीय जीवन खुद विदड्रॉ करेंगे, मैं तब की बात कर रहा हूं। ये जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, यह गलत है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मुझे एक बात की और प्रसन्नता हो रही है। मुझे सुकून मिला कि आज सलीम बाबू भी भारत की परम्पराओं की चर्चा कर रहे थे और वे मीमांसा कर रहे थे। यह जो भारत की परम्पराओं के प्रति आपका जो प्यार जग रहा है, यह देश में काफी सुकून पैदा करेगा, देश की सियासत में भी करेगा, ऐसा मुझे लगता है। …(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : भारत किसी की बपौती नहीं है। …(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : ये तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिधूड़ी जी, आपको क्या हो गया?

…(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): It is unfair. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: भारत के जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, वे भारत के प्रतिनिधि हैं।

…(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सलीम साहब को बहुत दिनों से जानता हूं। हमारे और उनके बीच के संबंधों में किसी और सेतु की आवश्यकता नहीं है। आज मैंने क्या कहा? मैं उनकी सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता को भी जानता हूं। उनकी अध्ययनशीलता को भी जानता हूं। आज मैंने यदि हाउस में उसका जिक्र किया है तो मैं प्रसन्नता के भाव से कह रहा था। इसमें उनके व्यक्तित्व में कोई टिप्पणी का सवाल नहीं था। …(व्यवधान) आप शांत रहिए।

HON. SPEAKER: He is a Communist. That is why, he is saying this.

… (*Interruptions*)

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन की परम्परा का पूरा पालन करता हूं। अगर मैंने उनकी प्रशंसा में ये भाव कहे हैं कि भारत की परम्परा का अभिनंदन उनके मुख से सुनकर हमें अच्छा लगा तो इसमें क्या आपत्ति है? इसमें क्या गलत बात है? मुझे लगता है कि आप भी इसमें प्रसन्न हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रवि शंकर जी, It's okay. आप लोग बैठिए ना।

…(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

As Dr. Shashi Tharoor and Shri N.K. Premachandran are not present to move their amendments, I shall put all the Clauses together to the vote of the House.

(1535/RAJ/UB)

HON. SPEAKER: The question is:

"That Clauses 2 to 15 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 15 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): 68 साल पहले एक नाइंसाफी हुई थी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद सलीम जी, हम बाद में बात करेंगे। आप बिल के बीच में मत बोलिए। आप बिल पास होने दीजिए।

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): अध्यक्ष महोदया, मुझे लंच से पहले बोलना था, आपकी अनुमति भी थी, चूंकि उस वक्त हंगामा हो रहा था, इसलिए नहीं बोला। इसी कारण जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था तो मैं वहां चला गया। यह वर्ष 1950 का मामला है। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वर्ष 1950 में एक सीरियस अनामली और एक इनजस्टिस हो गया, उसमें हम धर्म के नाम पर किसी का आरक्षण नहीं चाहते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर किसी को वंचित भी नहीं करना चाहते हैं। जो धोबी हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, वे धर्म आधारित हो गए, ऐसा कह कर उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वह आर्डर पर, बहुत कुछ पुरानी परंपराएं, जो गलत हैं, उनको सरकार सही कर रही है। मैं समझता हूं कि जो 1950 जो कॉंस्टीट्यूशनल ऑर्डर है, सरकार उसे सुधारने की कृपा करेगी।

VALEDICTORY REFERENCE

1537 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा का पन्द्रहवां सत्र, जो 18 जुलाई, 2018 को आरंभ हुआ था, आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र के दौरान, हमने 17 बैठकें कीं, जो लगभग 112 घंटे चली। वर्तमान सत्र में माननीय संसद सदस्य श्री श्रीनिवास केसिनेनी द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस प्रस्ताव पर 20 जुलाई, 2018 को 11 घंटे 46 मिनट चर्चा हुई। इस चर्चा में 51 सदस्यों ने भाग लिया। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई जो सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण थे और जिन्हें विभिन्न प्रक्रियात्मक उपायों के माध्यम से पहले उठाने के प्रयास किए गए थे।

इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय (financial), विधायी (legislative) और अन्य कार्य निपटाए गए। वर्ष 2018-19 के लिए Supplementary Demands for Grants (General), फिर वर्ष 2015-16 के लिए Demands for Excess Grants, इस पर 04 घंटे 46 मिनट से अधिक की चर्चा हुई और तत्पश्चात् इन्हें मतदान के लिए रखा गया और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किए गए। वर्तमान सत्र के दौरान 22 सरकारी विधेयक इंट्रोयूस किए गए। कुल मिला कर 21 विधेयक पारित किए गए।

(1540/IND/KMR)

पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों में से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 {The Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017}, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 {The Fugitive Economic Offenders Bill, 2018}, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 {The Prevention of corruption (Amendment) Bill, 2018, व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 {The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018}, दांडिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 {The Criminal Law (Amendment) Bill, 2018}, वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018 {The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Bill, 2018}, संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 {The Constitution (One Hundred and Twenty Third Amendment) Bill, 2018}, राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 {The National Sports University Bill, 2018}, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 {The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018} और स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2017 {The Requisitioning

and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017}. सदन में बहुत सारे पास किए गए बिलों में से ये बिल प्रमुख हैं।

मुझे सभा को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस सत्र में हम सभी ने मिलकर लोक सभा में समाज कल्याण से जुड़े ऐसे विधेयक पारित किए हैं, जिनका व्यापक प्रभाव समाज के वंचित वर्गों के हितों पर पड़ेगा, जैसे संविधान (123वां) संशोधन विधेयक, जिसके पारित होने से राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक रूप से गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसी प्रकार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act} भी पारित किया गया है।

सत्र के दौरान, 75 तारांकित प्रश्नों (Starred Questions) प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। शेष 285 तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर और 4140 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए। सदस्यों ने प्रश्न काल के पश्चात् और शाम को देर तक बैठ कर लगभग 534 अविलंबनीय लोक महत्व के मामले (matters of urgent public importance) उठाए। यह संख्या जीरो ऑवर में उठाए गए विषयों की है, इसके अलावा माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 326 मामले भी उठाए। स्थायी समितियों ने भी बहुत अच्छा काम किया है और सभा में 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सभा में, देश के विभिन्न भागों में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति पर नियम 193 के अधीन एक अल्पकालिक चर्चा (Short Duration Discussion) भी हुई। चर्चा संबंधित मंत्री के उत्तर के साथ पूरी हुई। अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों

द्वारा 64 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के बारे में 3 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान, संबंधित मंत्रियों द्वारा 1290 पत्र सभापटल पर रखे गए। सत्र के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गैर-सरकारी सदस्यों (Private Members) के 128 विधेयक introduce (पुर:स्थापित) किए गए। श्री विनसेंट एच. पाला द्वारा नौवें सत्र के दौरान 5 अगस्त, 2016 को पेश किए गए संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015 {Sixth Schedule of the Constitution (Amendment) Bill, 2015} पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को 3, अगस्त 2018 को आगे चर्चा के लिए लिया गया। तथापि, चर्चा उस दिन पूरी नहीं हुई।

इस सत्र में उपलब्ध 29 घंटों में से सभा ने 20 घंटे और 43 मिनट ज्यादा देर तक बैठकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। इतने ज्यादा घंटे बैठे, लेकिन बीच में जो डिस्टर्बेंस हुई, मैं उसका जिक्र नहीं कर रही हूं।

माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार सभा की कार्यवाही के सुचारू और रचनात्मक संचालन पर बल दिया है, जो कि संसद की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि यह सत्र हाल ही के पिछले दो उत्पादक सत्रों अर्थात् बजट सत्र 2017 का दूसरा भाग (11वां सत्र) एवं वर्ष 2017 का मानसून सत्र (12वां सत्र) की तुलना में ज्यादा productive एवं संतोषजनक रहा है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा पीठासीन अधिकारियों को प्रदान किए गए सहयोग के लिए उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

मैं इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूं, माननीय कलराज मिश्र जी का भी धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा सभी माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूं।

(1545/VB/GM)

सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए प्रदान की गई सहायता के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को भी धन्यवाद देती हूँ।

माननीय सदस्यगण, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपनी एवं सभा की ओर से सभी सदस्यों को और देशवासियों को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभ कामनाएँ देती हूँ।

माननीय सदस्यगण, अब हम सभी वंदेमातरम् के लिए खड़े होंगे।

(राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई)

Now, the House stands adjourned *sine die.*

1547 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।</u>